

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-418

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

*418. श्री बी.एस. येदियुरप्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राज्य विद्युत कंपनियों/वितरण कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समीक्षा के क्या परिणाम रहे; और
- (ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इन परिणामों के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राज्य विद्युत कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के बारे में लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 418 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, हाँ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीएफसी), राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/डिस्कॉमों की समीक्षा करता है और 'राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' का वार्षिक रूप से प्रकाशन करता है जिसमें राज्य विद्युत यूटिलिटीयाँ अर्थात् डिस्काम (दिल्ली और उड़ीसा की डिस्कामों सहित) राज्य विद्युत बोर्ड/पीडी, जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियाँ शामिल हैं। इस समीक्षा में यूटिलिटीयों के प्रचालनात्मक और वित्तीय पैरामीटरों जैसे कि लाभ/हानियों, आपूर्ति की औसत लागत, सब्सिडी पर औसत राजस्व, सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां, ऋण आदि का विश्लेषण किया जाता है।

(ग) : भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे :-

- एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत 39 ग्राहक सेवा केंद्र चालू किए गए हैं।
- विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के ग्राहक सेवा केंद्रों तक पहुंच उपलब्ध करवाने और शिकायतें दर्ज करवाने के लिए ऑल इंडिया शॉर्ट कोड 1912 लागू कर दिया गया है।
- उपभोक्ताओं को विभिन्न मानदण्डों पर विभिन्न ग्राहक केंद्रित सेवाएं तथा वास्तविक समय सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 'ऊर्जा एप' शुरू किया गया है।
- डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नामक स्कीम शुरू की गई है ताकि वे बेहतर ढंग से ग्राहकों की सेवा कर सकें।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4608

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम को छूट

4608. श्री रामचरण बोहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी निजी क्षेत्र के ताप/जल विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रभारित विद्युत प्रशुल्कों का ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन कंपनियों द्वारा बड़ी विद्युत कंपनियों को बेची जा रही बिजली की दर का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान कुछ विद्युत उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत प्रशुल्क को विनियमित करने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों तथा उन उत्पादन कंपनियों, जिनके उत्पादन और बिक्री की मिश्रित योजना एक से अधिक राज्यों में है, के प्रशुल्क को विनियमित करने के लिए अधिदेशित है। अधिनियम की धारा 86 के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए प्रशुल्क राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

प्रशुल्क के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62, 63 और 64 में दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 61 में विनिर्दिष्ट अनुसार, प्रशुल्क निर्धारण के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांतों में एक सिद्धांत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए औचित्यपूर्ण ढंग से विद्युत की लागत की वसूली करना है।

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान सीईआरसी द्वारा निर्धारित, प्रशुल्क का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I, II और III में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4608 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2013-14 के दौरान केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रशुल्क का ब्यौरा

2013-14 के लिए डीवीसी के ताप विद्युत स्टेशनों के लिए प्रशुल्क

क्रम सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	मार्च, 2014 के अनुसार निश्चित प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	मार्च, 2014 के अनुसार ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	कुल (पैसे/केडब्ल्यूएच)
1	बीटीपीएस	630.00	123.00	172.60	295.60
2	सीटीपीएस	390.00	157.90	250.00	407.90
3	डीटीपीएस	350.00	135.10	339.50	474.60
4	एमटीपीएस (यूनिट 1 से यूनिट 3)	630.00	131.40	239.70	371.10
5	एमटीपीएस (यूनिट 4)	210.00	176.90	239.70	416.60
6	एमटीपीएस (यूनिट 5 और यूनिट 6)	500.00	145.80	242.20	388.00
7.	सीटीपीएस (यूनिट 7 यूनिट 8)	500.00	183.40	185.10	368.50

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी, एनएलसी और नीपको के केंद्रीय ताप विद्युत स्टेशनों का प्रश्लक

क्रम सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	मार्च, 2014 के अनुसार निश्चित प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	मार्च, 2014 के अनुसार ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	कुल (पैसे/केडब्ल्यूएच)
1: एनटीपीसी के कोयला आधारित ताप उत्पादन स्टेशन					
क.	पिटहैड उत्पादन स्टेशन				
1	रिहंद एसटीपीएस स्टे.-I	1000	82.06	150.20	232.26
2	रिहंद एसटीपीएस स्टे.-II	1000	94.26	147.10	241.36
3	रिहंद एसटीपीएस स्टे.-III	500	130.55	143.40	273.95
4	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	53.66	121.20	174.86
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टे.-I	1260	64.76	137.60	202.36
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टे.-II	1000	74.97	129.80	204.77
7	विंध्याचल एसटीपीएस स्टे.-III	1000	112.07	130.00	242.07
8	विंध्याचल एसटीपीएस स्टे.-IV	500	141.50	129.90	271.40
9	कोरबा एसटीपीएस स्टे.-1 व II	2100	53.88	91.70	145.58
10	कोरबा एसटीपीएस-III	2100	157.88	90.70	248.58
11	रामगुंडम एसटीपीएस (स्टे.-I व II)	2100	60.62	221.40	282.02
12	रामगुंडम एसटीपीएस (स्टे.-III)	500	95.69	288.20	383.89
13	तालचर टीपीएस	460	126.33	69.00	195.33
14	तालचर एसटीपीएस (स्टे.-I)	1000	82.78	169.60	252.38
15	तालचर एसटीपीएस (स्टे.-II)	2000	80.40	169.70	250.10
16	सीपत एसटीपीएस स्टेज-I	1980	140.87	153.00	293.87
17	सीपत एसटीपीडी स्टेज-II	1000	129.23	157.70	286.93
18	कोरबा एसटीपीएस स्टेज-III	500	157.88	91.30	249.18
	उप-जोड़ (क)	22000			
ख.	गैर-पिटहैड उत्पादन स्टेशन				
19	एफजीयूटीपीटीपीएस (स्टे.-I)	420	86.66	324.00	410.66
20	एफजीयूटीपीटीपी (स्टे.-II)	420	102.68	328.30	430.98
21	एफजीयूटीपीटीपी (स्टे.-III)	210	140.43	328.50	468.93
22	एनसीटीपी दादरी (स्टे.-I)	840	88.50	338.60	427.10
23	एनसीटीपी दादरी (स्टे.-II)	980	159.58	335.20	494.78
24	फरक्का एसटीपीएस (स्टे.-I व II)	1600	79.96	298.90	378.86
25	फरक्का एसटीपीएस (स्टे.-III)	500	168.52	296.20	464.72
26	टांडा टीपीएस	440	107.43	387.50	494.93
27	बदरपुर टीपीएस	705	84.14	439.40	523.54
28	कहलगांव एसटीपीएस (स्टे.-I)	840	96.87	312.00	408.87
29	कहलगांव एसटीपीएस (स्टे.-II)	1500	118.60	294.50	413.10
30	सिम्हाद्री (स्टे.-I)	1000	102.24	270.80	373.04
31	सिम्हाद्री (स्टे.-II)	1000	169.77	272.80	442.57
32	मौदा	1000	154.22	308.10	462.32
	उप-जोड़ (ख)	10955			
	कोयला कुल (क+ख)	32955			

क्रम सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	मार्च, 2014 के अनुसार निश्चित प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	मार्च, 2014 के अनुसार ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	कुल (पैसे/केडब्ल्यूएच)
एनएलसी के लिग्नाइट आधारित ताप उत्पादन स्टेशन					
1	टीपीएस-I	600.00	87.70	256.90	344.60
2	टीपीएस-II (स्टे.-I)	630.00	62.60	216.80	279.40
3	टीपीएस-II (स्टे.-II)	840.00	63.80	216.80	280.60
4	टीपीएस-I (एक्सपेंशन)	420.00	124.00	202.80	326.80
5	सीएफबीसी आधारित बरसिंगसर टीपीएस	250.00	290.50	110.30	400.80
	कुल	2740.00			
एनटीपीसी के गैस/एलएनजी/लिविड आधारित स्टेशन					
क	प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग (एपीएम)				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	344.50	398.66
2	फरीदाबाद	431.00	79.51	266.20	345.71
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	289.80	359.70
4	औरैया जीपीएस	663.36	52.84	332.10	384.94
5	गांधार जीपीएस	657.39	100.13	245.50	345.63
6	कवास जीपीएस	656.20	78.65	256.90	335.55
ख	एनएपीएम का ईंधन के रूप में प्रयोग				
1	गांधार जीपीएस	657.39	100.13	338.50	438.63
2	कवास जीपीएस	656.20	78.65	344.20	422.85
ग.	एलएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	1056.50	1110.66
2	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	878.70	948.60
3	औरैया जीपीएस	663.36	52.84	1067.20	1120.04
4	फरीदाबाद	431.00	79.51	841.10	920.61
5	गांधार जीपीएस	657.39	100.13	1172.00	1272.13
6	कवास जीपीएस	656.20	78.65	1029.10	1107.75
घ.	लिविड ईंधन (नाप्था/एचएसडी) का ईंधन के रूप में प्रयोग				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	792.90	847.06
2	फरीदाबाद	431.00	79.51	766.90	846.41
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	815.20	885.10
4	औरैया जीपीएस	663.36	52.84	1038.30	1091.14
5	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	86.20	1280.00	1366.20
6	कवास जीपीएस	656.20	78.65	886.40	965.05
नीपको के गैस/लिविड ईंधन आधारित स्टेशन					
1	अगरतला जीपीएस	84	124.50	258.90	383.40
2	असम जीपीएस	291	146.70	197.80	344.50
	कुल नीपको	375			

सीईआरसी के क्षेत्र के अंतर्गत हाइड्रो स्टेशनों का मिश्रित प्रशुल्क

क्रम सं.	संगठन/पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता	2013-14 के लिए मिश्रित दर*
	एनएचपीसी:	मेगावाट	रु./केडब्ल्यूएच
1	बैरा सियुल	180	1.51
2	लोकटक	105	2.73
3	सलाल	690	0.92
4	टनकपुर	123	2.24
5	चमेरा-1	540	1.91
6	उरी-I	480	1.50
7	रंगित	60	2.76
8	चमेरा-II	300	2.58
9	धौलीगंगा-I	280	2.79
10	दुलहस्ती	390	5.74
11	तीस्ता-V	510	2.22
12	सेवा-II	120	4.05
13	चमेरा-III	231	3.53
14	चूटक	44	5.61
15	उरी-II	240	3.35
16	निम्मो बाजगो	45	5.91
	नीपको:		
1	कोपिली स्टे.-I	200	0.79
2	खांडोंग	50	1.34
3	कोपिली स्टे.-II	25	1.76
4	दोयांग	75	4.06
5	रंगानदी	420	1.81
	एनएचडीसी		
1	इंदिरा सागर	1000	2.59
2	ओंकारेश्वर	520	4.76
	टीएचडीसी:		
1	टिहरी स्टेज-I	1000	4.63
2	कोटेश्वर	400	3.81
	एसजेवीएनएल:		
1	नाप्था झाकरी	1500	2.59

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4608 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 के दौरान केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रशुल्क का ब्यौरा

ताप विद्युत स्टेशनों के निश्चित प्रभार और ऊर्जा प्रभार डाटा

क्रम सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	मार्च, 2015 के अनुसार संस्थापित क्षमता	निश्चित प्रभार 2014-15	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ऊर्जा प्रभार	कुल
		मेगावाट	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच
एनटीपीसी के कोयला आधारित ताप उत्पादन स्टेशन					
क.	पिटहैंड उत्पादन स्टेशन				
1	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-I	1000	82.06	172.00	254.06
2	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-II	1000	93.91	170.10	264.01
3	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-III	1000	130.55	165.70	296.25
4	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	53.66	117.30	170.96
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-I	1260	64.76	171.20	235.96
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-II	1000	65.56	161.40	226.96
7	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-III	1000	112.07	161.10	273.17
8	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-IV	1000	141.50	161.30	302.80
9	कोरबा एसटीपीएस स्टे.-I व II	2100	53.37	105.10	158.47
10	कोरबा एसटीपीएस-III	500	162.35	105.20	267.55
11	रामगुंडम एसटीपीएस स्टेज-I व II	2100	60.62	259.70	320.32
12	रामगुंडम एसटीपीएस स्टेज-III	500	95.69	269.80	365.49
13	तालचर टीपीएस	460	126.33	135.60	261.93
14	तालचर एसटीपीएस स्टेज-I	1000	84.55	145.00	229.55
15	तालचर एसटीपीएस स्टेज-II	2000	80.54	145.00	225.54
16	सीपत एसटीपीएस स्टेज-I	1980	140.88	138.00	278.88
17	सीपत एसटीपीएस स्टेज-II	1000	129.23	137.00	266.23
18	बाढ़-II	660		388.20	388.20
19	एफजीयूटीपीपीएस स्टेज-I)	420	87.41	291.40	378.81
20	एफजीयूटीपीपी स्टेज-II	420	90.73	291.40	382.13
21	एफजीयूटीपीपी स्टेज-III	210	139.84	291.40	431.24
22	एनसीटीपी दादरी स्टेज-I	840	90.52	392.10	482.62
23	एनसीटीपी दादरी स्टेज-II	980	159.54	367.10	526.64
24	फरक्का एसटीपीएस स्टेज-I व II	1600	81.74	259.40	341.14
25	फरक्का एसटीपीएस स्टेज-III	500	168.52	257.10	425.62
26	टांडा टीपीएस	440	112.86	351.80	464.66
27	बदरपुर टीपीएस	705	89.81	464.10	553.91
28	कहलगांव एसटीपीएस स्टेज-I	840	96.87	236.10	332.97
29	कहलगांव एसटीपीएस स्टेज-II	1500	121.34	222.90	344.24
30	सिम्हाद्री स्टेज-I	1000	101.50	294.00	395.50
31	सिम्हाद्री स्टेज-II	1000	167.80	292.50	460.30

32	मौदा	1000	154.22	378.00	532.22
ख.	प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग (एपीएम)				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	401.60	455.76
2	फरीदाबाद	431.00	79.51	328.00	407.51
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	340.40	410.30
4	औरैया जीपीएस	663.36	52.84	413.80	466.64
5	गांधार जीपीएस	657.39	100.13	326.50	426.63
6	कवास जीपीएस	656.20	78.65	332.00	410.65
ग.	एनएपीएम गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग				
1	गांधार जीपीएस	657.39	100.13	356.20	456.33
2	कवास जीपीएस	656.20	78.65	362.30	440.95
घ.	एलएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	1134.50	1188.66
2	फरीदाबाद	431.00	79.51	0.00	79.51
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	954.10	1024.00
4	औरैया जीपीएस	663.36	52.84	1148.20	1201.04
5	कवास जीपीएस	431.00	78.65	1030.60	1109.25
6	गांधार जीपीएस	657.39	100.13	*0	
ङ.	लिक्विड ईंधन (नाप्था/एचएसडी) का ईंधन के रूप में प्रयोग				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	*0	
2	फरीदाबाद	431.00	79.51	*0	
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	*0	
4	औरैया जीपीएस	663.36	52.84	*0	
5	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	86.20	*0	
6	कवास जीपीएस	656.20	78.65	*0	

2014-15 के लिए नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

क्रम सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	मार्च, 2015 के अनुसार संस्थापित क्षमता	निश्चित प्रभार	ऊर्जा प्रभार	कुल
		मेगावाट	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच
1	टीपीएस-I	600.00	87.73	264.70	352.43
2	टीपीएस-II (स्टेज-I)	630.00	62.08	221.30	283.38
3	टीपीएस-II (स्टेज-II)	840.00	63.39	221.30	284.69
4	टीपीएस-I (एक्सपेंशन)	420.00	133.07	209.80	342.87
5	सीएफबीसी आधारित बरसिंगसर टीपीएस	250.00	255.79	126.20	381.99

2014-15 के लिए डीवीसी स्टेशन

क्रम सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	मार्च, 2015 के अनुसार संस्थापित क्षमता	निश्चित प्रभार	ऊर्जा प्रभार	कुल
		मेगावाट	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच
1	बीटीपीएस	630.00	122.97	236.00	358.97
2	सीटीपीएस (1-3)	390.00	157.94	286.90	444.84
3	डीटीपीएस	350.00	135.13	284.80	419.93
4	डीएसटीपीएस	1000.00	186.36	196.50	382.86

5	केटीपीएस	1000.00	171.45	202.20	373.65
6	एमटीपीएस (यूनिट 1 से यूनिट 4)	840.00	131.36	201.00	332.36
7	एमटीपीएस (यूनिट 5 और यूनिट 6)	500.00	171.87	205.10	376.97
8	एमटीपीएस (यूनिट 7 और यूनिट 8)	1000.00	168.15	207.90	376.05
9	सीटीपीएस (यूनिट 7 और यूनिट 8)	500.00	168.15	230.50	398.65

2014-15 के लिए नीपको के स्टेशन

क्रम सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	मार्च, 2015 के अनुसार संस्थापित क्षमता	निश्चित प्रभार	ऊर्जा प्रभार	कुल
		मेगावाट	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच	पैसे/केडब्ल्यूएच
1	अगरतला जीपीएस	84.00	126.78	346.70	473.48
2	असम जीपीएस	291.00	147.25	263.10	410.35

सीईआरसी के क्षेत्र के अंतर्गत हाइड्रो स्टेशनों का मिश्रित प्रशुल्क			
क्रम सं.	संगठन/पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2014-15 के लिए मिश्रित दर (रु./केडब्ल्यू)
एनएचपीसी			
1	बैरा सियुल	180	1.75
2	लोकटक	105	3.26
3	सलाल	690	1.01
4	टनकपुर	94.20	2.24
5	चमेरा-I	540	2.01
6	उरी-I	480	1.50
7	रंगित	60	2.76
8	चमेरा-II	300	2.63
9	धौलीगंगा-I	280	2.79
10	दुलहस्ती	390	5.74
11	तीस्ता-V	510	2.22
12	सेवा-II	120	4.05
13	चमेरा-III	231	3.98
14	चूटक	44	6.55
15	तीस्ता-III	132	6.80
16	निम्मो बाजगो	45	4.15
17	उरी-II	240	7.72
नीपको			
1	कोपिली स्टे.-I	200	0.78
2	खांडोंग	50	1.28
3	कोपिली स्टे.-II	25	1.76
4	दोयांग	75	4.09
5	रंगानदी	405	1.97
एनएचडीसी			
1	इंदिरा सागर	1000	2.28
2	ओंकारेश्वर	520	4.19
टीएचडीसी			
1	टिहरी स्टेज-I	1000	6.05
2	कोटेश्वर	400	3.81
एसजेवीएनएल			
1	नाप्था झाकरी	1500	2.59
2	रामपुर	412	5.50
डीवीसी			
1	मैथॉन	632	2.79
2	पंचेट	80	1.19
3	तिलैया	4	4.85

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4608 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2015-16 के दौरान केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रशुल्क का ब्यौरा

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रकृति	सीओडी	एफसी (पैसे/केडब्ल्यूएच)	ईसीआर (पैसे/केडब्ल्यूएच)	कुल प्रशुल्क (पैसे/केडब्ल्यूएच)
1	तालचर-I	1000	गैर-पिट	01-जुला.-97	84.86	114.94	199.80
2	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	पिट-हैड	01-मई-88	53.83	94.31	148.14
3	टोंडा-I	440	गैर-पिट	20-फर.-98	112.16	270.61	382.78
4	रिहंद-II	1000	पिट-हैड	01-अप्रै.-06	96.90	133.84	230.74
5	सिम्हाद्री-II	1000	गैर-पिट	30-सितं.-12	166.31	166.12	332.43
6	सिम्हाद्री-I	1000	गैर-पिट	01-मार्च-03	102.54	163.68	266.22
7	एफजीयूटीपीएस-II	420	गैर-पिट	01-जन.-01	90.98	177.82	268.79
8	एफजीयूटीपीएस-I	420	गैर-पिट	22-मार्च-89	87.65	172.08	59.72
9	उडुपी पावर प्लांट	1200	गैर-पिट	19-अग.-12	165.02	286.74	451.76
10	कोरबा-III	500	पिट-हैड	21-मार्च-11	157.89	81.87	239.76
11	विंध्याचल-IV	1000	पिट-हैड	27-मार्च-14	157.67	153.45	311.12
12	मौदा-I	1000	गैर-पिट	30-मार्च-14	195.16	436.72	631.87
13	फरक्का-I व II	1600	पिट-हैड	01-जुला.-96	81.97	217.95	299.92
14	कोरबा-I व II	2100	पिट-हैड	01-जून-90	53.51	54.39	107.91
15	रिहंद-I	1000	पिट-हैड	01-जन.-91	82.29	125.97	208.25
16	फरक्का-III	500	पिट-हैड	04-अप्रै.-12	168.52	280.62	449.14
17	रामागुंडम-III	500	गैर-पिट	23-मार्च-05	95.96	108.81	204.77
18	सीपत-II	1000	पिट-हैड	01-जन.-09	129.58	65.29	194.87
19	रामागुंडम-I व II	2100	गैर-पिट	01-अप्रै.-91	60.79	149.27	210.05
20	कहलगांव-I	840	पिट-हैड	01-अग.-96	97.13	192.13	289.26
21	विंध्याचल-III	1000	पिट-हैड	15-जुला.-07	112.37	125.24	237.61
22	तालचर टीपीएस	460	पिट-हैड	24-मार्च-83	126.33	108.47	234.80
23	विंध्याचल-I	1260	पिट-हैड	01-फर.-92	64.94	132.68	197.62
24	सीपत-I	1980	पिट-हैड	01-अग.-12	140.88	136.21	277.09
25	तालचर-II	2000	पिट-हैड	01-अग.-05	80.86	114.94	195.80
26	कहलगांव-II	1500	पिट-हैड	20-मार्च-10	119.80	174.24	294.04
27	बदरपुर टीपीएस	705	गैर-पिट	01-अप्रै.-82	81.64	209.36	291.00
28	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	गैर-पिट	01-दिसं.-95	90.19	241.13	331.33
29	विंध्याचल-II	1000	पिट-हैड	01-अक्तू.-00	64.94	125.24	190.18
30	एफजीयूटीपीएस-III	210	गैर-पिट	01-जुला.-07	141.35	177.16	318.51
31	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	गैर-पिट	31-जुला.-10	162.07	233.04	395.11
32	एनटीपीसी सेल भिलाई एक्सपें.	500	गैर-पिट	21-अक्तू.-09	181.92	133.43	315.36

गैस आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों को 31.03.2016 को जारी किए गए आदेश पर आधारित वर्ष 2013-14 के लिए प्रशुल्क का ब्यौरा

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडी	एएफसी (₹. लाख में)	एएफसी (पैसे/केडब्ल्यूएच)	ईसीआर (पैसे/केडब्ल्यूएच)	कुल प्रशुल्क (पैसे/केडब्ल्यूएच)
1	उनोसुजैन पावर प्लांट	382.5	04-अप्रै.-13	46,104.25	166.88	398.90	565.78
2	सुजैन पावर प्लांट	1147.5	15-अग.-09	93,549.43	112.87	223.11	335.98
3	फरीदाबाद जीपीएस	431.586	01-जन.-01	24,769.64	79.46	161.97	241.43
4	अंता जीपीएस	419.33	01-अग.-90	21,171.69	69.90	177.95	247.86
5	दादरी जीपीएस	829.78	01-अप्रै.-97	32,624.39	54.44	269.50	323.93
6	झनोर गंधार	657.39	01-नव.-95	47,540.54	100.13	261.33	361.45
7	औरेया जीपीएस	663.36	01-दिसं.-90	25,317.85	52.84	206.71	259.55
8	कवास जीपीएस	656.2	01-नव.-93	37,276.75	78.65	390.41	469.06
9	आरजीसीसीपीपी कायमकुलम	359.58	01-मार्च-00	22,112.94	85.14	434.71	519.85
10	एनटीपीसी-ओएनजीसी, आरजीपीपीएल	1967.08	19-मई-09	1,91,329.38	143.08	287.87	430.95

सीईआरसी के क्षेत्र के अंतर्गत हाइड्रो स्टेशनों का मिश्रित प्रशुल्क

2015-16 के दौरान सीईआरसी के क्षेत्र के अंतर्गत हाइड्रो स्टेशनों का मिश्रित प्रशुल्क		
एनएचपीसी		
1	बैरा सियुल	1.86
2	लोकटक	3.46
3	सलाल	1.05**
4	टनकपुर	2.80
5	चमेरा-1	2.08
6	उरी-I	1.56
7	रंगित	3.41
8	चमेरा-II	2.58
9	धौलीगंगा	2.96
10	दुलहस्ती	5.71**
11	तीस्ता-V	2.32
12	सेवा-II	5.53**
13	चमेरा-III	4.27
14	चूटक	8.44**
15	टीएलडीपी-III	6.90
16	निम्मो बाजगो	9.54**
17	उरी-II	4.87**
18	पारबती-III	5.48
एनएचडीसी		
1	इंदिरा सागर	3.48
2	ओंकारेश्वर	5.32
टीएचडीसी		
1	टिहरी स्टेज-I	5.68
2	कोटेश्वर	3.78
एसजेवीएनएल		
1	नाप्था झाकरी	2.88
2	रामपुर	3.22
नीपको		
1	खांडोंग	1.54
2	कोपिली स्टे.-I	1.01
3	दोयांग	5.25
4	रंगानदी	2.11
5	कोपिली स्टे.-II	1.83
डीवीसी		
1	मैथॉन	3.26
2	पंचेट	1.58
3	तिलैया	4.96

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4609

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

उदय योजना

4609. श्रीमती के. मरगथमः

श्री केसिनेनी श्रीनिवासः

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः

श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) में सम्मिलित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या करदाताओं के धन का उपयोग कर वितरण कंपनियों को बार-बार घाटे से उबारना आर्थिक रूप से उचित है जबकि राज्य विद्युत बोर्डों की आर्थिक पुनर्गठन योजना 2001 के अंतर्गत उनकी सहायता की गई थी और अब ये बोर्ड पुनः उसी स्थिति में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या कारण है;

(घ) केन्द्र सरकार का वितरण कंपनियों की जवाबदेही तथा आर्थिक निगरानी किस तरीके से करने का प्रस्ताव है ताकि वे भविष्य में पुनः इस स्थिति में दोबारा न आएं; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का उदय योजना से संबंधित 75% की अनुदान धनराशि को 50% ऋण तथा इक्विटी 25% के रूप में राज्य सरकारों द्वारा अंतरित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है जैसा कि उदय योजना में दर्शाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। अब तक, सत्रह राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब और पुडुचेरी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) में शामिल हुए हैं।

(ग) : राज्य वितरण यूटिलिटीयों के कारण राज्यों की आकस्मिक देयता होती है और उदय इसको मान्यता प्रदान करती है। वर्ष 2012 में वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) सूत्रबद्ध की थी और भारत सरकार से

वित्तीय सहायता के लिए प्रदत्त थी, तथापि उदय के अन्तर्गत, भारत सरकार से ऐसी कोई भी वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं है।

(घ) और (ङ) : उदय के अन्तर्गत, सभी प्रतियोगी डिस्कामों/राज्यों ने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेजेक्टरी के रूप में वित्तीय आमूलचूल परिवर्तन की प्रतिबद्धता शामिल है। उदय सहभागी राज्यों/डिस्कामों की ओर से कई राजकोषीय विवेकपूर्ण उपायों को उपायों को शामिल करती है जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा आगे किन्हीं भी हानियों को वित्तपोषित नहीं करना, सभी हानि वित्तपोषण को परिभाषित हानि ट्रेजेक्टरी के भीतर ही किया जाना, बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यरत पूंजीगत वित्तपोषण को विगत वर्ष राजस्व का केवल 25% तक प्रतिबंधित करना और राज्य सरकार द्वारा ग्रेडेड तरीके में डिस्काम हानियों को भविष्य में लेना शामिल है।

उदय में व्यवस्था है कि ऋण अनुदान के रूप में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राज्यों द्वारा डिस्कामों के 75% ऋण के अन्तरण को लिया जाता है। उदय में आगे व्यवस्था है कि यदि राज्य तत्काल सम्पूर्ण अनुदान के ब्याज भार को आत्मसात करने में सक्षम नहीं है तो अनुदान का अन्तरण तीन वर्षों में विस्तारित किया जा सकता है अर्थात् डिस्कामों से राज्य ऋण के माध्यम से तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 25% के शेष अन्तरण के साथ करना। उच्च ऋण डिस्काम वाले राज्यों के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से 2 वर्षों के लिए इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4617

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम योजना

4617. श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:

श्री पी.आर. सुन्दरम:

श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार का देश में हरित ऊर्जा के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु 'हरित गलियारा' परियोजना में शीघ्रता लाने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या केंद्र सरकार के पास ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष घटक योजना है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हेतु बाह्य वित्तपोषण एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कितनी आर्थिक सहायता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त हुई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : बड़े पैमाने की नवीकरणीय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के एकीकरण को सुविधात्मक बनाने के लिए, अंतःराज्यीय और अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली सहित एक व्यापक स्कीम 'हरित ऊर्जा गलियारा' के भाग के रूप में अभिज्ञात की गई है। अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटीयों (एसटीयू) द्वारा किया जा रहा है और अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन पावरग्रिड द्वारा किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सौर पार्कों को ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने पावरग्रिड को आठ (8) सौर पार्कों (7200 मेगावाट) से निकासी के लिए अंतरराज्यीय पारेषण स्कीम के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है। छः (6) सौर पार्कों (5750 मेगावाट) के लिए पारेषण स्कीम (अनंतपुर 1500 मेगावाट), पावगडा (2000 मेगावाट), रीवा (750 मेगावाट), भडला-III (500 मेगावाट), भडला-IV (250 मेगावाट), ऐस्सेल सोर्या (750 मेगावाट), पहले से ही कार्यान्वयनाधीन हैं। बनासकांठा सौर पार्क (700 मेगावाट) के लिए निविदा जारी की गई है जबकि विकासकर्ता से अन्य एमपी सौर पार्क के लिए दीर्घकालिक पहुँच (एलटीए) आवेदन की अभी प्रतीक्षा है।

नवीकरणीय समृद्ध राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु) में नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि से विद्युत की निकासी के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) और नियंत्रण अवसंरचना की स्थापना सहित अंतःराज्यीय और अंतरराज्यीय दोनों के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण का कार्यान्वयन हरित ऊर्जा गलियारों (जीईसी) के अंतर्गत किया जा रहा है।

भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच सहयोग के ढाँचे के अंतर्गत अंतःराज्यीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की परियोजनाओं में हरित ऊर्जा गलियारों के वित्तपोषण के लिए, केएफडब्ल्यू जर्मनी एक बिलियन यूरो तक की राशि तक का सुलभ ऋण प्रदान कर रही है। हरित ऊर्जा गलियारों के अंतर्गत अंतःराज्यीय पारेषण स्कीमों को राज्य सरकार की 20% इक्विटी, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से 40% अनुदान तथा 40% सुलभ ऋण के रूप में वित्तपोषित किया जाना है। जबकि अंतःराज्यीय पारेषण स्कीमों को पीजीसीआईएल द्वारा 30% इक्विटी और 70% सुलभ ऋण के रूप में वित्तपोषित किया जाना है।

हरित ऊर्जा गलियारे के भाग-क, ख और ग से संबंधित अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, केएफडब्ल्यू जर्मनी से 500 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता के लिए ऋण करार पर पीजीसीआईएल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और ये परियोजनाएं 2018 तक पूरी किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड ने हरित ऊर्जा गलियारा भाग (घ) के अंतर्गत पारेषण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए, एजीवी से ऋण लिया है।

हरित ऊर्जा गलियारे के अंतर्गत अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों ने क्रमशः 76 मिलियन यूरो, 49 मिलियन यूरो, 57 मिलियन यूरो, 68 मिलियन यूरो, 114 मिलियन यूरो तथा 124 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू जर्मनी से ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4632

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क में बढ़ोत्तरी

4632. श्री सी.एस. पुड्डा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों से विचार-विमर्श के पश्चात् केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के विद्युत प्रशुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत प्रशुल्कों में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी करने हेतु एक नई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस संबंध में विद्युत प्रशुल्कों में बढ़ोत्तरी का आम आदमी पर भार के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार राज्य विद्युत बोर्ड को घाटे से उबारने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 तक की धाराओं में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, विद्युत विनियामक आयोगों को उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए प्रशुल्क के निर्धारण का कार्य सौंपा गया है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों का प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। अधिनियम की धारा 61 में यथानिर्धारित प्रशुल्क निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है और इसके साथ ही उचित तरीके से विद्युत की लागत की वसूली करना है। आगे अधिनियम की धारा 62 में, ईंधन की कीमत में अंतर का ध्यान रखने के लिए आवधिक प्रशुल्क समायोजन की भी व्यवस्था है। अतः उपयुक्त आयोग उत्पादन कंपनी और लाइसेंसी की सभी मितव्ययी लागतों की वसूली के लिए मासिक/त्रैमासिक आधार पर ईंधन की कीमत में अंतर, विद्युत क्रय आदि के कारण उत्पन्न होने वाली लागतों की वसूली के लिए एक उपयुक्त मूल्य समायोजन फार्मूला विनिर्दिष्ट करता है। प्रशुल्क के निर्धारण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(घ) : राज्य विद्युत बोर्डों को घाटे से उबारने के लिए केंद्र सरकार उदय स्कीम के अंतर्गत राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है। वितरण कंपनियों का बकाया ऋण राज्यों की आकस्मिक देयता है। उदय में वर्ष 2015-16 और 2016-17 में 30.09.2015 की मौजूदा स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा डिस्कॉमों के 75% ऋण को लिए जाने की परिकल्पना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4635

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग

4635. श्री रामसिंह राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र द्वारा कितनी मात्रा में कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया गया है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र द्वारा आयातित कोयले की मात्रा और मूल्य कितना है; और
- (ग) उक्त अवधि के दौरान जीवाश्म ईंधन के स्थान पर पर्यावरण हितैषी विकल्पों को अपनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में निगरानी किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा उपभोग की गई कोयले की राशि तथा गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2016 तक) के दौरान, विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गैस आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा उपभोग की गई गैस तथा वैकल्पिक ईंधन (नाप्था/हाई स्पीड डीजल) का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2016 तक) के दौरान विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, घरेलू कोयले के साथ मिश्रण तथा आयातित कोयला आधारित संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र द्वारा आयात किए गए कोयले की मात्रा अनुबंध-II में दी गई है।

(ग) : भारत अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है जो कि फॉसिल ईंधन की तुलना में पर्यावरण हितैषी है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) की क्षमता अभिवृद्धि पर भारत सरकार द्वारा दिए गए अधिक बल के साथ ही परंपरागत फॉसिल ईंधन को बदलने की परिकल्पना भी की गई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4635 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष	कोयला खपत (मिलियन टन)	आपूर्ति/खपत की गई गैस (एमएमएससीएमडी)	प्रयोग किया गया दूसरा ईंधन (किलो लीटर)	
			नापथा	एचएसडी
2013-14	489.4	27.1	306632.4	526.6
2014-15	530.4	25.2	253906.9	637.1
2015-16	545.9	28.3	107640.5	665.3
2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक)	330.2	30.2	9200.0	71.0

(एमएमएससीएमडी = मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन)

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4635 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्टूबर, 2016 तक) के दौरान विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सूचित किए अनुसार आयातित कोयला आधारित संयंत्रों की आवश्यकता

वर्ष	आयातित कोयला (मिलियन टन)
2013-14	80.0
2014-15	91.2
2015-16	80.6
2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक)	40.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4636

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

4636. श्री सिराजुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विद्युत वितरण कंपनियों की कार्य-निष्पादन क्षमता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार बेहतर तरीके से उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करवाने के लिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने में सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों को वितरण लाइसेंसियों के कार्य निष्पादन को देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(i) के अन्तर्गत, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) को लाइसेंसि द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानक विनिर्दिष्ट करने अथवा लागू करने के लिए अधिकार दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4637

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कर्मचारी

4637. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनु-जनजाति (एस.सी./एस.टी.) कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पीएसयू में एससी/एसटी के लिए आरक्षित पद खाली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इन पदों पर एससी/एसटी से संबंधित अभ्यर्थियों के चयन के लिए केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	संगठन का नाम	एससी/एसटी सहित कर्मचारियों की कुल सं.	एससी/एसटी के लिए आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा
1.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	583	एससी-10, एसटी-16
2.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी)	22356	एससी-6, एसटी-153
3.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी)	8248	एससी-13, एसटी-15
4.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल)	9228	एससी-73, एसटी-44
5.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी)	498	एसटी-02
6.	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी)	580	एसटी-01
7.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (नीपको)	2328	एससी-198, एसटी-131
8.	सतलुज जल विद्युत निगम लि. (एसजेवीएनएल)	1714	एससी-09, एसटी-01
9.	टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. (टीएचडीसी)	1947	एससी-01

(ग) : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों सहित रिक्त पद नियमित आधार पर यूपीएससी/एसएससी से भर्ती के लिए मांगे गए हैं। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछले/रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4638

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियां

4638. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में अनुमत्य पारेषण हानि प्रतिशत क्या है;
- (ख) कंपनियों को हो रही पारेषण एवं वितरण हानि के कारण उपभोक्ताओं को राज्य-वार कितना बोझ सहना पड़ रहा है;
- (ग) राज्य उपभोक्ता किस अनुपात में पारेषण हानि के बोझ को सहन कर रहे हैं; और
- (घ) देश में पारेषण हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में, पारेषण हानियों का प्रतिशत ग्रिड स्थिति और ग्रिड में उत्पादन के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए 2 से 4 प्रतिशत के बीच है।

(ख) और (ग) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) "राज्य विद्युत यूटिलिटी संबंधी रिपोर्ट" में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लिए राज्य-वार और यूटिलिटी-वार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों की सूचना अनुबंध में दी गई है।

संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशुल्क निर्धारित के लिए एटीएण्डसी हानियों को ध्यान में रखते हैं।

(घ) : एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों पर पारेषण हानियों को कम करने के प्रयासों के भाग के रूप में, पारेषण प्रणाली विशेषकर विद्युत के लम्बी दूरी के पारेषण के लिए 400 केवी, 765 केवी लाइनों वालों उच्चतर वोल्टेज लेवल को उपयोग करने की आयोजना की जा रही है।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वितरण लाइसेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि वे एटीएण्डसी हानियों को कम करने के लिए कदम उठाए। केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्कीमों को आरम्भ करके उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4638 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय कर रहीं यूटिलिटीयों के लिए एटीएंडसी हानियां

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2012-13	2013-14	2014-15
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.40		
		एनबीपीडीसीएल	50.85	41.93	41.76
		एसबीपीडीसीएल	45.77	48.70	45.28
	बिहार कुल		54.64	46.33	43.99
	झारखण्ड	जेएसईबी	47.49	26.30	
		जेबीवीएनएल			47.01
	झारखण्ड कुल		47.49	26.30	47.01
	ओडिशा	सीईएसयू	43.43	38.48	37.08
		एनईएससीओ	39.61	36.47	38.36
		एसईएससीओ	49.36	41.18	42.57
		डब्ल्यूईएससीओ	41.87	41.24	41.03
	ओडिशा कुल		42.88	39.19	39.28
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	53.51	71.23	42.37
	सिक्किम कुल		53.51	71.23	42.37
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	34.43	32.05	35.35
	पश्चिम बंगाल कुल		34.43	32.05	35.35
पूर्वी कुल			42.04	36.24	39.64
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	60.26	68.20	67.83
	अरुणाचल प्रदेश कुल		60.26	68.20	67.83
	असम	एपीडीसीएल	31.85	30.25	26.00
	असम कुल		31.85	30.25	26.00
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	85.49	43.55	
		एमएसपीडीसीएल			49.62
	मणिपुर कुल		85.49	43.55	49.62
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	41.71	39.77	34.69
	मेघालय कुल		41.71	39.77	34.69
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	27.55	32.53	33.51
	मिजोरम कुल		27.55	32.53	33.51
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	75.30	38.37	78.48
	नागालैंड कुल		75.30	38.37	78.48
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	34.45	41.81	38.02
	त्रिपुरा कुल		34.45	41.81	38.02
पूर्वोत्तर कुल			39.97	35.92	35.29
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	15.16	16.19	10.76
		बीएसईएस यमुना	17.94	15.51	19.68
		टीपीडीडीएल	13.12	9.75	10.31
	दिल्ली कुल		15.22	14.09	12.90
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	28.31	30.89	30.71
		यूएचबीवीएनएल	36.97	38.61	34.83
	हरियाणा कुल		32.55	34.33	32.52
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	11.90	14.82	15.21
	हिमाचल प्रदेश कुल		11.90	14.82	15.21
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	60.87	49.14	59.04
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		60.87	49.14	59.04
	पंजाब	पीएसपीसीएल	17.52	17.87	17.56
	पंजाब कुल		17.52	17.87	17.56

	राजस्थान	एवीवीएनएल	19.90	22.06	28.13
		जेडीवीवीएनएल	18.97	25.71	26.99
		जेवीवीएनएल	20.91	31.08	32.00
	राजस्थान कुल		20.00	26.77	29.28
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	45.69	36.47	40.18
		केईएससीओ	37.61	34.29	32.02
		एमवीवीएन	45.83	14.43	35.18
		पश्च वीवीएन	33.39	23.49	22.19
		पूर्व वीवीएन	52.37	20.09	42.91
	उत्तर प्रदेश कुल		42.85	24.67	33.82
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	23.18	19.01	18.82
	उत्तराखण्ड कुल		23.18	19.01	18.82
उत्तरी कुल			28.89	24.86	28.06
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	15.64	17.54	
		एपीईपीडीसीएल	10.15	6.57	7.67
		एपीएनपीडीसीएल	13.09	20.80	
		एपीएसपीडीसीएल	12.74	11.77	12.01
	आंध्र प्रदेश कुल		13.70	14.77	10.55
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	20.45	18.93	17.59
		सीएचईएससीओएम	30.42	33.92	21.64
		जीईएससीओएम	18.28	30.45	21.25
		एचईएससीओएम	20.44	20.42	19.49
		एमईएससीओएम	14.57	14.83	15.72
	कर्नाटक कुल		20.78	22.02	18.71
	केरल	केएसईबी	12.32	11.45	
		केएसईबीएल		22.99	17.64
	केरल कुल		12.32	16.48	17.64
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	9.13	16.18	16.64
	पुडुचेरी कुल		9.13	16.18	16.64
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	20.71	22.35	24.74
	तमिलनाडु कुल		20.71	22.35	24.74
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल			16.49
		टीएसएसपीडीसीएल			11.91
	तेलंगाना कुल				13.23
दक्षिणी कुल			17.40	19.08	18.22
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	25.12	23.17	27.84
	छत्तीसगढ़ कुल		25.12	23.17	27.84
	गोवा	गोवा पीडी	14.14	10.72	13.31
	गोवा कुल		14.14	10.72	13.31
	गुजरात	डीजीवीसीएल	10.40	10.83	10.81
		एमजीवीसीएल	14.94	14.77	11.47
		पीजीवीसीएल	30.41	24.12	25.18
		यूजीवीसीएल	14.37	9.10	10.21
	गुजरात कुल		19.87	15.93	16.06
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	29.97	29.60	32.47
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	28.16	21.15	30.79
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	36.40	34.83	27.09
	मध्य प्रदेश कुल		31.15	28.03	30.26
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.95	14.39	19.75
	महाराष्ट्र कुल		21.95	14.39	19.75
पश्चिमी कुल			23.36	18.37	21.59
सकल योग			25.48	22.58	24.62

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4678

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

गैस आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु गैस का आबंटन

4678. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में गैस आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु गैस के आबंटन और आपूर्ति हेतु किसी नीलामी का आयोजन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन कंपनियों द्वारा उत्पादित विद्युत को खरीदने के लिए राज्य सरकारें सामने आई हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विद्युत की कीमत 4.70 रुपये प्रति इकाई से घटाकर 4.00 रुपये प्रति इकाई करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित लक्षित संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) तक घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में स्पॉट पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) का आयात करने और आपूर्ति करने की योजना संस्वीकृत की है। इस योजना में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उद्देश्यों के लिए आयात की जा रही वृद्धिशील आरएलएनजी से संबंधित लागू होने वाले करों एवं लेवी/करों से छूट के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों सहित, सभी पणधारकों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले परित्यागों की परिकल्पना की गई है। ई-बोली आरएलएनजी की नीलामी के 4 चरण अब तक पूरे कर लिए गए हैं और चौथा चरण दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक वर्तमान में प्रचालनाधीन है। विद्युत क्रय करार (पीपीए) की स्थिति चौथे चरण की नीलामी के अंतर्गत सफल विद्युत उत्पादकों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) : जी हाँ। चौथे चरण में ई-बोली आरएलएनजी के लिए कीमत 4.70 रुपए से घटाकर 4.00 रुपए करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4678 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैस आधारित उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए स्कीम के अंतर्गत नीलामी के चौथे चरण (01 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017) में सफल संयंत्रों के नाम

क्रम सं.	संयंत्रों के नाम	क्षमता (मेगावाट)	पीपीए की स्थिति
1	पायोनियर गैस पावर लिमिटेड	388	तेलंगाना सरकार के साथ पीपीए
2	मैसर्स पंडुरंगा एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड	116	पीपीए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
3	मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड	220.5	पीपीए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
4	लैंको कॉडापल्ली पावर लिमिटेड	1108	पीपीए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
5	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	1967	रेलवे के साथ पीपीए
6	जीएमआर वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड	388.5	पीपीए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
7	गामा इंफ्राप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड	225	उत्तराखंड सरकार के साथ पीपीए
8	सारावथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	450	उत्तराखंड सरकार के साथ पीपीए
9	बेटा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	225	उत्तराखंड सरकार के साथ पीपीए

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4704
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत का प्रति व्यक्ति उपयोग

4704. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग लगभग सभी विकसित और विकासशील देशों की तुलना में मांग की लगातार वृद्धि के बावजूद भी काफी कम है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) देश के उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें पूर्णतया विद्युतीकृत कर लिया गया है और पूरे देश को कब तक पूर्णतया विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की बेवसाइट पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 एवं 2013 के लिए कुछ विकसित और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दी गई है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 914 किलोवाट/घंटा और 957 किलोवाट घंटा थी।

प्रति व्यक्ति कम खपत मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या, प्रति व्यक्ति कम आय और देश में जनसंख्या के एक भाग को विद्युत की कम पहुंच के कारण है।

(ग) : चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है।

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत गांवों को मई, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4704 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2012 और 2013 में विभिन्न विकसित देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

क्रम सं.	प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)		
	देश का नाम	2012	2013
1	कनाडा	15558	15520
2	यूएसए	12947	12987
3	ऑस्ट्रेलिया	10218	10067
4	जापान	7753	7836
5	फ्रांस	7367	7382
6	जर्मनी	7138	7022
7	कोरिया	10346	10428
8	यूके	5452	5409
9	रूस	6602	6562
10	इटली	5277	5124
11	दक्षिण अफ्रीका	4410	4328
12	ब्राजील	2509	2583
13	चीन	3475	3766
14	भारत*	884	914
15	संसार	2972	3026

टिप्पणी :-

आईईए वेबसाइट भारत (छोड़कर) से प्राप्त आधारभूत आंकड़ा।

* टिप्पणी: प्रति व्यक्ति खपत=(सकल ऊर्जा उत्पादन+निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4704 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2012 और 2013 के लिए संसार और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत (केडब्ल्यूएच) को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	प्रति व्यक्ति खपत 2012	प्रति व्यक्ति खपत 2013
1	कुवैत	16542	15905
2	संयुक्त अरब अमीरात	10175	10547
3	चाइनीज तैपई	उपलब्ध नहीं	10458
4	ब्रूनी द्रशलम	8949	9553
5	सऊदी अरब	8763	9157
6	ओमान	6520	6434
7	मोनटेनेग्रो	5412	5620
8	जिब्रेल्टर	5344	5545
9	कजाखिस्तान	5085	4893
10	नीदरलैंड एटील्स	4891	N.A.
11	सर्बिया	4371	4444
12	मलेशिया	4313	4474
13	मैकेडोनिया का एफवाईआर	3625	3498
14	लीबिया	4805	3963
15	उक्रेन	3641	3600
16	बेलारूस	3698	3648
17	लेबनान	3113	3780
18	वेनेजुएला	3401	3231
19	चीन जन गण के लोग	3475	3766
20	बोसनिया और हर्जेगोविना	3271	3214
21	अर्जेंटीना	3027	3175
22	कोसोवो	2860	2908
23	संसार	2972	3026
24	उरुग्वे	2933	2986
25	टर्की	2760	2761
26	ईरान	2752	2888
27	रोमानिया	2602	2495
28	तुर्कमेनिस्तान	2476	2602

29	ब्राजील	2509	2583
30	जॉर्डन	2357	2350
31	मैक्सिको	2098	2150
32	थाईलैंड	2479	2487
33	अल्बनिया	1943	2532
34	तजाखिस्तान	1732	1662
35	जॉर्जिया	1935	2070
36	पनामा	1943	2007
37	कॉस्टेरिका	1896	1888
38	सीरियाई अरब गणराज्य	1169	953
39	अजर्बेजान	2053	2092
40	अर्मेनिया	1838	1880
41	इजिप्ट	1804	1812
42	किर्जिस्तान	1809	1887
43	उजबेकिस्तान	1605	1637
44	बोत्सवाना	1611	1684
45	मंगोलिया	1604	1923
46	जमैका	1198	1126
47	नामीबिया	1614	1641
48	मोलडोवा जन गण	1514	1353
49	क्यूबा	1376	1438
50	ट्यूनीशिया	1411	1435
51	इराक	1483	1817
52	पेरू	1218	1278
53	इक्वाडोर	1276	1327
54	पेराग्वे	1305	1400
55	अल्जीरिया	1203	1244
56	कोलंबिया	1130	1153
57	वियतनाम	1273	1306
58	गबोन	1081	1153
59	डोमिनिसनय जन गण	1455	1499
60	एल. सेल्वाडोर	850	879
61	मोरक्को	888	878
62	भारत	884	914
63	जिम्बाबे	596	560
64	कोरिया की डीपीआर	654	660
65	होंडुरस	680	699
66	इंडोनेशिया	733	792
67	फिलीपींस	668	686

68	बोलिविया	646	687
69	जंबिया	600	767
70	ग्वाटेमाला	539	563
71	निकारागुआ	568	585
72	श्रीलंका	527	528
73	मोजांबिक	454	446
74	पाकिस्तान	447	448
75	घाना	348	386
76	कैमरून	262	278
77	बांग्लादेश	280	293
78	अंगोला	239	248
79	कोट डिव्लेयर	255	269
80	सेनेगल	210	221
81	येमेन	177	259
82	कोंगो	180	231
83	कंबोडिया	206	220
84	केन्या	157	165
85	नाइजीरिया	155	141
86	सूडान	159	209
87	म्यांमार	152	164
88	टोगो	147	150
89	कोंगो डेम. जन गण	112	118
90	बेनीन	92	94
91	नेपाल	119	128
92	तंजानिया संयुक्त जन गण	101	91
93	इथोपिया	58	65
94	ऐरीट्रिया	50	49
95	हैती	50	49

स्रोत- उपरोक्त सूचना आईईए की वेबसाइट www.iea.org से डाउनलोड की गई है। ऊर्जा सूचक (चयनित सूचक - 2012) भारत के लिए प्रतीक्षित।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4728

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन

4728. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अधिकांश विद्युत संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता की तुलना में कम क्षमता पर चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का भोजन पकाने वाले इंडक्शन स्टोव के उपयोग को प्रोत्साहित करने का विचार है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विद्युत वितरण कंपनियों के संयंत्र भार कारक और राजस्व संवहनीयता पर भोजन पकाने वाली ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ङ) क्या भोजन पकाने संबंधी ईंधन हेतु आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की लागत भोजन पकाने वाले इंडक्शन स्टोव के समान ही है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तुलनात्मक फायदे/नुकसान क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ताप विद्युत संयंत्र तथा नाभिकीय उत्पादन यूनिटों की क्षमता उपयोगिता पीएलएफ के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ताप एवं नाभिकीय यूनिटों का पीएलएफ मुख्यतः नियोजित कटौती एवं जबरन कटौती पर निर्भर करता है जो यूनिटों की आयु, ईंधन की अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा की उपलब्धता एवं पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता एवं पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता तथा लाभार्थी डिस्कॉमों से शेड्यूल की प्राप्ति जैसी अन्य बाह्य बाधाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में उत्पादन जल की उपलब्धता के कारण प्रभावित होता है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल-अक्टूबर, 2016) के दौरान कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का औसत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 59.17% था।

(ख) से (च) : राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के विचार-विमर्श में नीति आयोग ने कुकिंग उद्देश्य के लिए इंडक्शन कुकिंग स्टोव सहित उपयुक्त वैद्युत उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। कुकिंग ऊर्जा के विद्युतीकरण से पीएलएफ एवं डिस्कॉमों की राजस्व निरंतरता बढ़ने की संभावना है। कुकिंग के लिए ईंधन के रूप में बिजली सुरक्षित है और बायोमास की तुलना में कम प्रदूषण करने वाली है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4729

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

खराब मानसून के कारण विद्युत की कमी

4729. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को मानसून की कमी के कारण केरल जैसे राज्यों के समक्ष उत्पन्न बिजली की कमी की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार के पास विभिन्न राज्यों के समक्ष उत्पन्न बिजली संकट से निपटने के लिए कोई आकस्मिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केरल सरकार ने संकट की स्थिति से निपटने के लिए कोई सहायता मांगी है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (अप्रैल से नवंबर, 2016) के दौरान केरल में ऊर्जा की कमी 0.2% थी। इस वर्ष अप्रैल, 2016 से नवंबर, 2016 तक के दौरान केरल की विद्युत आपूर्ति स्थिति अनुबंध में दी गई है। राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार राज्य में औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं पर कोई अधिसूचित विद्युत कटौती/प्रतिबंध नहीं है।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, देश में ऊर्जा के संबंध में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर मात्र 0.7% प्रतिशत के सीमांत स्तर पर कमी आई है और अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जो 0.7% से भी कम का मांग और आपूर्ति में अंतर महसूस कर रहे हैं। विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और राज्य, विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की योजना बनाती है। यदि राज्य ऐसे विद्युत के लिए मांग देती है, तो केन्द्र सरकार उनकी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राज्यों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी के लिए 24X7 घण्टे विद्युत तैयार करने के लिए संयुक्त पहल की है।

(घ) और (ङ) : केरल सरकार से केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों द्वारा विद्युत के अतिरिक्त आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर-पूर्व-पश्चिम (एनईडब्ल्यू) से दक्षिणी क्षेत्र गिड तक के बीच कुल पारेषण क्षमता 150 मेगावाट अर्थात् 6650 मेगावाट से 6800 मेगावाट तक बढ़ाया गया है। इस वजह से, केरल को 150 मेगावाट की दीर्घावधि पहुंच (एलटीए) लाभ दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4729 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू वर्ष (अप्रैल, 2016 से नवंबर, 2016) के दौरान केरल की विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य	ऊर्जा (नवं. *, 16)				संचयी ऊर्जा (अप्रैल, 16 - नवं. *, 16)			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष (+)/ कमी (-)		आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष (+)/ कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
केरल	1,939	1,937	-3.0	-0.1	16,081	16,056	-25	-0.2

* अंतिम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4730
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

डीवीसी विद्युत संयंत्र

4730. श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में डीवीसी का बाजेडीह विद्युत संयंत्र के विस्तार को रोक दिया गया है और इसके फलस्वरूप 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विद्युत संयंत्र के विस्तार के त्वरित रूप से पूर्ण होने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : उत्तराखंड में कोडरमा ताप विद्युत संयंत्र के स्टेज-1 के अंतर्गत इकाईयां प्रचालनरत हो गई हैं। डीवीसी प्रणाली में अतिरिक्त विद्युत के कारण फिलहाल कोडरमा ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार करने के लिए कोई योजना नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4741

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

4741. श्री रत्न लाल कटारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 2022 तक प्रतिस्पर्धा निकाय द्वारा जांच की अनुमति देकर जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में शामिल समस्याओं जैसे पूंजीगत लागत, पुनर्वास और पुनःस्थापन, निर्माण की अवधि इत्यादि को सुलझाने हेतु कदम उठाये हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने नवीकरणीय खरीद अनिवार्यता (आरपीओ) को जल विद्युत से पृथक करने हेतु कोई निर्णय लिया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दिनांक 28-01-2016 की संशोधित प्रशुल्क नीति के अंतर्गत, जल विद्युत के विकासकर्ताओं को उपलब्ध प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से छूट देने से संबंधित व्यवस्था को दिनांक 15-08-2022 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) से (च) : विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अर्थात् राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत लम्बी अवधि के ऋण वित्तपोषण का प्रावधान, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के मानदण्डों की तुलना में मूल्यहास की कम दर प्रभारित करने का विकल्प, दिनांक 15-08-2022 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत आधिक्य प्रशुल्क व्यवस्था को बढ़ाना। सरकार ने 25 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व जल विद्युत को बाहर रखने का भी निर्णय लिया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4746

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के लिए नीति

4746. श्री रायपति सम्बासिवा रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने अगले दशक अथवा इसी प्रकार से देश की ऊर्जा आवश्यकता का मूल्यांकन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) नवीकरणीय ऊर्जाओं सहित ऊर्जा के अलग-अलग संसाधनों जिनसे देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है, का तुलनात्मक प्रतिशत कितना है;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार का देश में विशेष रूप से शहरों में गर्मियों के व्यस्ततम समय में विद्युत की कमी से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कोई नीति तैयार करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए गए 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 और 2026-27 के लिए विद्युत स्टेशन बस बारों पर देश (यूटिलिटीयों) की इलेक्ट्रिक ऊर्जा मांग **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : नवीकरणीय ऊर्जा, जिससे देश की ऊर्जा मांग की आवश्यकता पूरी हो रही है, सहित ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की तुलनात्मक प्रतिशतता **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) और (ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शहरों में विशेष रूप से गर्मियों के व्यस्ततम समय में विद्युत की कमी से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए नीति तैयार करने का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सीपीएसयू के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा वहां से उन्हें विद्युत आंबंटित करके राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4746 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2021-22 और 2026-27 के लिए विद्युत स्टेशन बस-बार में, देश (यूटिलिटी) की ऊर्जा आवश्यकता

वर्ष	इलेक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)
2021-22	1904861
2026-27	2710058

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4746 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल-अक्तूबर, 2016 के दौरान उत्पादन निष्पादन

श्रेणी-वार:	उत्पादन (अप्रैल-अक्तूबर, 2016) (बीयू)	उत्पादन का कुल %
कोयला	518.947	70.3
गैस	29.834	4.0
लिग्नाइट	19.898	2.7
डीजल	0.170	0.0
कुल थर्मल	568.849	77.1
हाइड्रो	88.307	12.0
न्यूक्लियर	22.136	3.0
भूटान से आयात	4.909	0.7
नवीकरणीय	53.827	7.3
कुल उत्पादन:	738.027	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4750

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

थोक विद्युत के पारेषण की प्रणाली

4750. श्री राम चरित्र निषाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 1200 केवी बल (फोर्स) के साथ थोक विद्युत पारेषण के लिए प्रणाली विकसित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) यह किस प्रकार देश के लिए लाभकारी होगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 1200 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट (यूएचवीएसी) प्रणाली के देशी विकास के लिए भारतीय उपस्कर विनिर्माताओं और केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) की साझेदारी में बीना, मध्यप्रदेश में पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा एक परीक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। परीक्षण केन्द्र शुरू हो गया है और टेस्ट सेटअप के अन्तर्गत प्रचालन में है। इस परीक्षण केन्द्र का प्रचालनात्मक अनुभव भावी 1200 केवी यूएचवीएसी वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना और प्रचालन में सहायक होगा।

1200 केवी प्रणाली लगभग 6000 मेगावाट प्रति सर्किट की थोक विद्युत पारेषण में सहायक होगी, जो विद्युत के पारेषण के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार के इष्टतम उपयोग में सहायक होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4751

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

4751. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विद्युत राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन के दौरान दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने उक्त सम्मेलन के अनुसरण में केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : जी, हाँ। विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान क्षेत्रों में केंद्रीय स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान मंत्रियों का विगत सम्मेलन 07 एवं 08 अक्टूबर, 2016 को वड़ोदरा, गुजरात में आयोजित किया गया। सम्मेलन की कार्य सूची पर किए गए विचार-विमर्श तथा साथ ही साथ, सम्मेलन के दौरान दिए गए सुझावों के आधार पर 58 संकल्प लिए गए। सम्मेलन में लिए गए संकल्प अनुबंध में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4751 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

07 एवं 08 अक्टूबर, 2016 को वड़ोदरा, गुजरात में आयोजित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए संकल्प

विद्युत वितरण

- 1) जो राज्य उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तथा शामिल होना चाहते हैं, वे 30 नवंबर, 2016 तक सिद्धांत रूप से अनुमोदन देंगे तथा समझौता-ज्ञापन को 31 दिसंबर, 2016 तक अंतिम रूप देंगे।
- 2) उदय के अंतर्गत सभी राज्य, बेहतर निगरानी के लिए, प्रचालनात्मक पैरामीटर मासिक रूप से तथा वित्तीय पैरामीटर त्रैमासिक रूप से उदय पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- 3) राज्य गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण से संबंधित कार्य 30 नवंबर, 2016 तक तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत संस्वीकृत शेष कार्य 31 मार्च, 2017 तक अवाई करेंगे।
- 4) राज्य शेष बचे सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों को 31 दिसंबर, 2016 तक विद्युतीकृत करेंगे सिवाय उन गाँवों के जो वाम पक्ष उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों तथा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनके लिए संबंधित राज्यों द्वारा ऐसे गाँवों को 01 मई, 2017 तक विद्युतीकृत किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।
- 5) राज्य इन गाँवों में शिविर लगाकर आवश्यक औपचारिकताओं को वहीं पर पूरा करके और प्राथमिकता पर विद्युत कनेक्शन जारी करते हुए 15 अगस्त, 2017 तक 18,452 गाँवों में 100% घरों को विद्युत पहुँच प्रदान करने को सुनिश्चित किए जाने को दोहराते हैं।
- 6) राज्य, भारत के सभी गाँवों में 100% घरों को विद्युत पहुँच प्रदान करने के लिए जून, 2016 में आयोजित विगत सम्मेलन में यथासहमत नीचे दर्शाई गई समय-सीमा को भी दोहराते हैं:

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य
1.	पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 2017
2.	महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़	मार्च, 2017 (एलडब्ल्यूई क्षेत्रों को छोड़कर) मार्च, 2018 (एलडब्ल्यूई क्षेत्र)
3.	जम्मू व कश्मीर	15 अगस्त, 2017
4.	सिक्किम	मार्च, 2018
5.	असम, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश	मार्च, 2018
6.	बिहार	20 लाख घर मार्च, 2017 तक तथा शेष सभी बचे घर दिसंबर, 2018 तक
7.	उत्तर प्रदेश	90 लाख घर मार्च, 2018 तक तथा शेष

		सभी बचे घर मार्च, 2019 तक
8.	उत्तराखण्ड और अन्य शेष राज्य	दिसंबर, 2017

- 7) राज्य 15 नवंबर, 2016 तक आरईसी ट्रांसमिशन पावर कंपनी लि. द्वारा दिए गए साझा आंकड़ा प्रपत्र के अनुसार फीडर-वाइज टैग्ड उपभोक्ता सूचना प्रदान करेंगे।
- 8) राज्य मौजूदा मीटर आंकड़ा अर्जन प्रणाली (एमडीएएस), डिस्कॉम वेबसाइट तक काल सेंट्रों को ऊर्जा मित्र एप के साथ एकीकृत करेंगे और दिसंबर, 2016 तक बंदी के बारे में उपभोक्ता को एसएमएस के द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए सहमति देंगे।
- 9) राज्य अक्टूबर, 2016 तक राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीसी) से एकीकृत करने के लिए 11 केवी ग्रामीण फीडरों के मास्टर डाटा एण्ड जावा स्क्रिप्ट नोटेशन (जेएसओएन) प्रपत्र एक-दूसरे को देंगे।
- 10) राज्य दिसंबर, 2016 तक ग्रामीण फीडर निगरानी स्कीम के कार्यान्वयन और मॉडम की संस्थापना को सुगम बनाएंगे।
- 11) राज्य 31 दिसंबर, 2016 तक एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत शेष बचे 2600 नगरों को आईटी युक्त बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ताकि विद्युत मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी, 2017 तक संस्वीकृति दी जा सके। तत्पश्चात्, राज्य धीरे-धीरे, परंतु 31 मार्च, 2017 तक कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति करेंगे ताकि परियोजनाओं को 30 सितंबर, 2017 तक पूरा किया जा सके।
- 12) राज्य 13 दिसंबर, 2016 तक आईपीडीएस परियोजनाओं के लिए एनआईटी जारी करना तथा तत्पश्चात् अवार्ड करना एवं 01 जनवरी, 2017 तक स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान की अगली किस्त का दावा करना सुनिश्चित करेंगे।
- 13) राज्य (राजस्थान-81, जम्मू व कश्मीर-21, तमिलनाडु-21, पुडुच्चेरी-4, गोवा-2, अरुणाचल प्रदेश-10, नागालैंड-9, मिजोरम-8, मेघालय-4, मणिपुर-1, बिहार-1, झारखण्ड-5) 31 मार्च, 2017 तक आर-एपीडीआरपी भाग-क (आईटी) के अंतर्गत शेष बचे नगरों को गो-लाइव करना सुनिश्चित करेंगे।
- 14) राज्य (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा) 31 मार्च, 2017 तक गो-लाइव नगरों के 11 केवी फीडरों के आंकड़ों को शहरी वितरण फीडर निगरानी प्रणाली (यूडीएफएमएस) पर डालना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित आधार पर लेन-देन संबंधी आंकड़े भेजना सुनिश्चित करेंगे। राज्य बेहतर विद्युत विश्वसनीयता एवं उदय के अनुसार एटीएण्डसी हानि को कम करने को सुनिश्चित करने के लिए फीडर निगरानी आंकड़ों को प्रबंधन औजार के तौर पर प्रयोग करेंगे।
- 15) राज्य वेबसाइट पर विभिन्न "उपभोक्ता संबंधी" एवं "डिस्कॉम संबंधी" पैरामीटरों से संबंधित शुद्ध सूचना को सुनिश्चित करने के लिए 'ऊर्जा एप' के लिए दिए गए आंकड़ों के सही होने को सुनिश्चित करेंगे।
- 16) सभी राज्य विद्युत चोरी की रिपोर्ट '1912' पर किए जाने तथा इसे निःशुल्क सेवा बनाए जाने का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

जल विद्युत

- 17) 25 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों को 100 मेगावाट तक की विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाया जाए। अन्य के लिए, मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाए।
- 18) संपूर्ण जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाए।
- 19) सस्ते ऋण जल विद्युत परियोजनाओं को उपलब्ध करवाना तथा एनसीईएफ तक पहुँच की संभावना देखी जाएगी।
- 20) जल विद्युत को एक पृथक घटक के रूप में, आरपीओ के अंतर्गत शामिल किया जाए।

पारेषण

- 21) राज्य पारेषण लाइनों के मार्गाधिकार के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान की एक समान कार्यविधि रखने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/7/2015-ट्रांस के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों को अंगीकार करने का संकल्प लेते हैं।
- 22) रेलवे लाइनों के ऊपर से पारेषण लाइनें गुजरने की अनुमति के दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेलवे, सीईए तथा पोसोको के सदस्यों वाली समिति गठित की जाएगी ताकि ऐसी क्रॉसिंग के अनुमोदन की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सके।

यूआरएस विद्युत का उपयोग

- 23) राज्य विद्युत की लागत कम करने के लिए यूआरएस (अनापेक्षित अधिशेष) उधार देने के विकल्प का प्रयोग करेंगे। अपेक्षित होने पर विनियम/ग्रिड संहिता में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे ताकि जिन मामलों में उत्पादक समय पर बिजली नहीं देते हैं वहाँ प्रापक द्वारा मान्य अनुमोदन, अर्थात् 50% तक, दिया जा सके।
- 24) सीईए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अनुबंध में दिए विचारार्थ विषयों के साथ वरीयता क्रम प्रेषण संबंधी समिति गठित की जाएगी।

कोयला उपयोग में लचीलापन

- 25) राज्य कोयले के उपयोग में लचीलेपन के प्रावधान का प्रयोग करेंगे ताकि विद्युत की लागत में आगे और कमी की जा सके। कोयला मंत्रालय एनटीपीसी एवं राज्यों के साथ अनुपूरक करार पर शीघ्रताशीघ्र हस्ताक्षर करवाए जाने को सुगम बनाएगा।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी)

- 26) राज्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार की गई और राज्यों को परिचालित की गई राष्ट्रीय विद्युत योजना का अध्ययन करेंगे और नवंबर, 2016 के अंत तक अपनी टिप्पणियां भेजेंगे।

कैप्टिव उत्पादन

- 27) राज्य विद्युत मंत्रालय द्वारा वेबसाइट पर डाली गई नियमावली (कैप्टिव विद्युत उत्पादन प्रावधानों की) में प्रस्तावित संशोधन पर अपनी टिप्पणियां भेजेंगे। राज्य विनियामक फ्रेमवर्क में कोई परिवर्तन अपेक्षित होने पर उसे दो सप्ताह में भेजेंगे ताकि उसे एफओआर (विनियामक मंच) के साथ उठाया जा सके।

ऊर्जा संरक्षण

- 28) राज्य इस उद्देश्य के साथ दिसंबर, 2017 तक ईसीबीसी अधिदेशित करेंगे कि नए वाणिज्यिक भवनों में ईसीबीसी का अनुपालन किया जाए।

- 29) राज्य ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण में सहायता देने तथा कार्यान्वित करने के लिए दिसंबर, 2017 तक राज्य शहरी विकास विभागों/पीडब्ल्यूडी में ईसीबीसी कक्ष स्थापित करेंगे।
- 30) राज्य सौर पंप सेट सहित नए कृषि पंप कनेक्शन के लिए, जहाँ तक संभव हो, बीईई स्टार लेबल वाले पंप सेटों के प्रयोग को अधिदेशित करने के लिए दिसंबर, 2017 तक राज्य भर में विनियामक तंत्र कार्यान्वित करेंगे।
- 31) राज्य बचत आधारित मॉडल अथवा वार्षिकी आधारित मॉडल, जो भी उनके राज्यों के लिए उपयुक्त हो, के माध्यम से कृषि मांग पक्ष प्रबंधन परियोजनाएं कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।

कोयला संबंधी मुद्दे

- 32) राज्य जेनको बकाया अतिदेयों को किस्तों में 30 जून, 2017 तक (ब्याज/अधिभार सहित) चुका करेगी। किसी विवादित देय के मामले में इसे परस्पर सामंजस्य से निपटाया जाएगा अथवा वैकल्पिक रूप से मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए इन्हें एडीआरएम में उठाया जाएगा।
- 33) यदि तकनीकी रूप से अपक्षित न हो अथवा वाणिज्यिक प्रतिबद्धताएं पूरी न करनी हों तो पर्याप्त स्वदेशी कोयले की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में राज्य प्रयास करेंगे कि कोई भी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कोयले का आयात न करे।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

- 34) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए संभाव्यता समृद्ध क्षेत्रों को अभिचिह्नित किया जाएगा तथा प्रभावी एवं समन्वित क्षेत्र में नवीकरणीय विद्युत की निकासी तथा पारेषण किए जाने की अग्रिम योजना बनाई जाएगी। अग्रिम योजना बनाने तथा अवसंरचना के सृजन करने के लिए आवश्यक विनियमों को परामर्श के लिए 31 जनवरी, 2017 तक तैयार किया जाएगा।
- 35) लगभग 19,300 मेगावाट की सौर क्षमता की निविदा मंगवाई जा चुकी है। राज्य इन विद्युत संयंत्रों की स्थापना को सुगम बनाएंगे तथा एकपक्षीय समाप्ति "अवश्य चले" स्थिति तथा भुगत सुरक्षा प्रणालियों के मुद्दों का मसाधान करते हुए यथापेक्षित सीपीए/पीएसए पर हस्ताक्षर करेंगे।
- 36) 20,000 मेगावाट तक पीपीए सहित सौर परियोजनाओं का नया निविदाकरण 30 जून, 2017 तक किया जाएगा।
- 37) राज्य, भूमि अधिग्रहण, पीपीए एवं ग्रिड एकीकरण के मुद्दों का समाधान करके नवीकरणीय परियोजनाओं को तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- 38) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना "अवश्य चले" परियोजनाएं हैं इसलिए उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। वापस किए जाने के मामले में प्रभारों का भुगतान करना होगा। इस संबंध में आवश्यक विनियम तैयार किए जाएंगे।
- 39) सौर रूफ टॉप परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जम्मू व कश्मीर, तेलंगाना, पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम एवं त्रिपुरा को छोड़कर), राज्यों के राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) 31 मार्च, 2017 तक नेट मीटरिंग/फीड-इन-टैरिफ की अनुमति देने के विनियम अधिसूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम अपनी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाएंगी तथा ग्रिड कनेक्शन प्रदान करने के लिए 30 जून, 2017 ऑनलाइन तंत्र तैयार करेंगी।
- 40) प्रस्तावित मिशन किसान ऊर्जा सशक्तिकरण मिशन (कुसुम) से बजट भूमि का अत्युत्तम प्रयोग हो सकेगा तथा संकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को अतिरिक्त आय हो सकेगी। किसानों की सौर पीवी

विद्युत परियोजनाओं को निकटतम ग्रिड उप-केंद्र से कनेक्टिविटी प्रदान करने का दायित्व संबंधित डिस्कॉम का होगा।

- 41) राज्य वित्त वर्ष के दौरान 25,000 मेगावाट से ज्यादा की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की समय-अनुसूची का पालन करेंगे। आवश्यक होने पर, जो एसपीडी परियोजनाओं को अनुसूचित तिथि से पहले पूरा एवं चालू करेंगे उन पर, दंड नहीं लगाया जाएगा।
- 42) राज्य परियोजनाओं की संस्थापना के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पवन-संभाव्यता स्थलों पर बसावट होने को रोकेंगे।
- 43) राज्य पहले से ही चालू तथा चालू होने वाली परियोजनाओं की सूची तैयार करेंगे। पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने के मुद्दे का समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा।
- 44) राज्य सौर तथा पवन ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान किए जाने का तंत्र तैयार करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि, किसी भी मामले में, विलंब 2 माह से ज्यादा का न हो (ब्याज सहित भुगतान)। इसके अतिरिक्त, सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादकों के बीच कोई भेदभाव किए बिना सभी पक्षों को समान रूप से भुगतान किए जाने के लिए पारदर्शी मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- 45) 'सड़क प्रकाश व्यवस्था विद्युतीकरण की अजय स्कीम' को सहज कार्यान्वयन के लिए पात्र राज्य एवं डिस्कॉम 31 मार्च, 2017 तक संस्थापना के लिए ईईएसएल को पूरी सहायता करेंगे। इसी प्रकार से छात्रों को सौर लैंप प्रदान करने के लिए राज्य आईआईटी-बंबई एवं एसईसीएल को सहायता प्रदान करेंगे।
- 46) ऑफ-ग्रिड स्कीमों में राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करेंगे। ऐसी परियोजना गैर-विद्युतीकृत घरों को ऊर्जित करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं।
- 47) राज्य एनआईडब्ल्यूई अथवा किसी भी अन्य एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करते हुए पवन ऊर्जा का पूर्वानुमान लगाना तथा अनुसूचीकरण करना प्रारंभ करेगा। आंकड़ों के वास्तविक समय उत्पादन के लिए सभी पूर्ण स्टेशनों पर मीटरिंग तथा संचार आधारभूत सुविधा स्थापित की जाएगी। राज्य सौर तथा पवन ऊर्जा के अंतरा-राज्य पारेषण के लिए अनुसूचीकरण तथा पूर्वानुमान लगाने के तंत्र को अंतिम रूप देंगे तथा अधिसूचित करेंगे।
- 48) अंतरा-राज्य पारेषण तथा व्हीलिंग प्रभार केडब्ल्यूएच आधार पर लगाए जाएंगे ताकि राज्यों में नवीकरणीय विद्युत की अंतरा-राज्य तथा अंतर-राज्य दोनों प्रकार की बिक्री को सुगम बनाया जा सके।
- 49) (क) एकपक्षीय समाप्ति, (ख) "अवश्य चलें" तथा (ग) भुगतान सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाएगा ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रशुल्क और कम किया जा सके।
- 50) राज्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में डिस्कॉमों/एसईआरसी/एसएनए अधिकारियों तथा उद्यमियों का क्षमता निर्माण प्रारंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य, एमएनआरई द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में कार्मिकों को नामित करेगा।
- 51) राज्य सभी नए भवनों/निर्माणों में रूफ टॉप सौर संस्थापना को अधिदेशित करेंगे। इसके अतिरिक्त, रूफ टॉप सौर सब्सिडी के अनुमोदन तथा नगर निगम द्वारा अनुमोदित भवन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया को एकीकृत किया जाएगा।

खान

- 52) प्रमुख खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की तैयारी - राज्य सरकारों को वर्ष 2016-17 में 61 प्रस्तावित ब्लॉकों की नीलामी करनी है तथा मार्च, 2017 तक रद्द ब्लॉकों की पुनःनीलामी भी करनी है। इसके अतिरिक्त, राज्य वर्ष 2017-18 एवं आगे के लिए खनिज नीलामी की तैयारी को गति प्रदान करेंगे।

- 53) जिला खनन निधि (डीएमएफ) की स्थापना - राज्यों द्वारा सभी जिलों में डीएमएफ स्थापित किए जाएंगे। डीएमएफ के अंतर्गत परियोजनाओं का अभिचिह्नित तथा कार्यान्वयन पीएमकेकेकेवाई (प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना) स्कीम के अनुरूप किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा लघु खनिजों के लिए भी डीएमएफ को गठित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें डीएमएफ के अंतर्गत निधियों के संग्रहण तथा स्कीम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से निगरानी करें ताकि स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ दिए जा सकें। राज्य सरकारों को ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के अनुरूप पीएमकेकेकेवाई का पोर्टल तैयार करना है।
- 54) अन्वेषण नीति - नई खनिज अन्वेषण नीति के अंतर्गत अन्वेषण ब्लॉकों की प्रतिवर्ती-नीलामी/आवंटन के लिए अपनाए जाने वाले तंत्र/प्रक्रिया को खान मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 55) स्टार रेटिंग - राज्य सरकारों द्वारा लघु खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली भी अंगीकार की जानी है।
- 56) अवैध खनन पर खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) के माध्यम से नियंत्रण - राज्यों द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से 7 दिनों की निर्धारित समय अवधि के अंदर एमएसएस के द्वारा उत्पादित ट्रिगर का क्षेत्रीय सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। जिन जिलावार नोडल अधिकारियों को ट्रिगर भेजा जाना है उन्हें एमएसएस के साथ पंजीकृत करवाया जाएगा। राज्य सरकारें प्रमुख खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) तैयार करने की भारत सरकार की पहल की सहायता करेंगी। राज्य सरकारों को जनवरी, 2017 तक लघु खनिजों के लिए उपग्रह मानचित्रण एवं अंकुरण की परियोजना प्रारंभ करनी है।
- 57) लघु खनिज नियमावली - राज्य सरकारों द्वारा खनिजों के लिए खनिज छूट देने की पारदर्शी प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि मंत्रालय द्वारा 20-क के अंतर्गत जारी किए गए निदेश दिसंबर, 2016 तक लागू किए जा सकें।
- 58) प्रतिबंधित खनन पट्टा आवेदन पत्रों पर 11 जनवरी, 2017 से पहले कार्यवाही - राज्य सरकारें उन खनन पट्टा आवेदनों से संबंधित, जिन्हें एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10-क(2)(ग) के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था मामलों में, जिनमें कार्रवाई अथवा निर्णय उनकी ओर से लंबित था, विगत अनुमोदन अथवा आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन नर्णय लेने में गति लाएगी और इसकी समय-सीमा 11 जनवरी, 2017 है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4766
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

जल की कमी

4766. श्री मानशंकर निनामा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में जल की अनुपलब्धता के मद्देनज़र कई विद्युत संयंत्र स्थायी रूप से बंद कर दिये गये हैं;
- (ख) यदि हां, तो स्थाई रूप से बंद किये गये विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार का उक्त विद्युत संयंत्रों को पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4770
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा रॉयल्टी का भुगतान

4770. श्रीमती रेखा वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड) द्वारा उन राज्यों को रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है जहां एनटीपीसी के संयंत्र स्थित हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनटीपीसी द्वारा भुगतान किए गए कुल रॉयल्टी का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4773

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

जल विद्युत की हिस्सेदारी

4773. श्री केसिनेनी श्रीनिवासः

श्री रवीन्द्र कुमार जेनाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उपलब्ध नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में विद्युत की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और कुल हिस्सेदारी में जल विद्युत, ताप विद्युत और परमाणु विद्युत की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है;
- (ख) पिछले दशक में कुल अधिष्ठापित क्षमता और विभिन्न परिवर्तित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है;
- (ग) क्या वर्ष 1962-63 के दौरान विद्युत क्षेत्र में पन बिजली ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ी है और अधिकतम 50.62 प्रतिशत पहुंची है और तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है और वर्तमान में यह मात्र 15.22 प्रतिशत है;
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पन बिजली ऊर्जा क्षेत्र के पुनरुद्धार और इसके योगदान को बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने बड़ी पन बिजली परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
- (च) लघु पनबिजली परियोजना जो कि पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ है को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : देश में 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 3,08,834 मेगावाट है।

वर्ष 2006-07 तथा 2016-17 (30.11.2016 तक) के लिए उत्पादन क्षमता के विभिन्न स्रोतों की कुल संस्थापित क्षमता तथा प्रतिशतता अनुबंध में दी गई है।

(ग) : वर्ष 1962-63 में जल विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता की प्रतिशतता में लगभग 50.62% (कुल 5,801 मेगावाट में से 2,936 मेगावाट) की अधिकतम की आई जो 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, लगभग 13.97% (कुल 3,08,834 मेगावाट में से 43,133 मेगावाट) रह गई है।

(घ) से (च) : जल विद्युत के हिस्से में कमी के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना, जल विद्युत परियोजनाओं की लम्बी परिपक्वता अवधि, भू-वैज्ञानिक आकस्मिकताएं, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मामले, निजी क्षेत्र परियोजनाओं में निधियों की बाधा इत्यादि शामिल हैं।

देश में जल विद्युत क्षमता का पुनः मूल्यांकन अतिरिक्त जल वैज्ञानिक उपलब्धता, स्थलाकृतिक तथा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जल उपयोगों तथा ई-फ्लो के बारे में अन्य आंकड़े तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा अधिदेशित अन्य विचारों को अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) एवं एमओईएफएंडसीसी में इनके माननीय मंत्रियों के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण, वन संबंधी स्वीकृति दिए जाने की समीक्षा की जाती है। एमओईएफएंडसीसी ने पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियाँ देने की प्रक्रिया को सरल एवं शीघ्र बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

सरकार द्वारा अपेक्षाकृत छोटी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर परियोजनाओं अर्थात राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत लम्बी अवधि के ऋण वित्तपोषण के प्रावधान, केंद्रीय विद्युत विनायमक आयोग (सीईआरसी) मानकों की तुलना में मूल्यहास की निम्न दर वसूलने के विकल्प, नवीकरणीय क्रय दायित्व से जल विद्युत को छोड़कर 15.08.2022 तक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत आधिक्य प्रशुल्क क्षेत्र में विस्तार करने इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4773 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2006-07 और 2016-17 (30.11.2016 तक) के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की कुल संस्थापित क्षमता और प्रतिशत हिस्सा

वर्ष	हाइड्र		थर्मल		न्यूक्लियर		आरईएस		कुल
	मेगावाट	%	मेगावाट	%	मेगावाट	%	मेगावाट	%	मेगावाट
2006-07	34654	26.19	86015	65.00	3900	2.95	7761	5.86	132330
2016-17 (30.11.2016 तक)	43133	13.97	214004	69.29	5780	1.87	45917	14.87	308834

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4774

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियां

4774. श्री अरविंद सावंतः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए विद्युतीकरण कार्य पूरे कर लिये गए हैं तथा क्या उनके द्वारा किए गए कार्य संतोषजनक हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 1,20,120 गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण, 4,05,329 गाँवों के गहन विद्युतीकरण तथा 250.86 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए जाने का कार्य किया गया है।

इस स्कीम में, राज्य तथा नोडल एजेंसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) स्तर पर, अंतर्निर्मित गुणवत्ता निगरानी तंत्र की परिकल्पना है। सुधारात्मक उपाय गुणवत्ता निगरानी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) : नोडल एजेंसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नागालैंड, सिक्किम तथा महाराष्ट्र सरकार से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रत्येक से एक-एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4774 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत शामिल विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा

आंध्र प्रदेश	
1.	सेंट्रल पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि., एच.नं.1-04-660, तृतीय मंजिल, सिंगरेनी भवन, रेड हिल्स, हैदराबाद-500004
2.	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि., एच. नं. 30-14-9, निकट सरस्वती पार्क, डाबा गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530020
3.	नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि., एच. नं. 1-1-504 एनआईटी पेट्रोल पम्प के सामने, चैतन्यपुरी, हनमकोंडा, वारंगल-506004
4.	सदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि., एच. नं. 19-3-13 (एम) अपस्टेयर्स, रेनीगुंटा रोड, तिरुपति-517501
5.	द को-ऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाइ सोसायटी लिमिटेड, सिरसिल्ला
6.	दि अंकापल्ली आरई को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, अंकापल्ली
7.	दि कुप्पम आरई को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कुप्पम
8.	दि चिपुरुपलाली आरई को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, चिपुरुपली
अरुणाचल प्रदेश	
9.	अरुणाचल प्रदेश पावर डेवलेपमेंट एजेंसी (एपीडीए), जल विद्युत भवन, नीति विहार रोड, आईजी पार्क गेट के निकट, ईटानगर-791111.
असम	
10.	असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं.लि. (अनेक्स बिल्डिंग), बिजूली भवन, पलटन बाजार, गुवाहटी-781001
11.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
बिहार	
12.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
13.	एन.एच.पी.सी., एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
14.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि., विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-800001
15.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि., विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-800001
छत्तीसगढ़	
16.	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, गुडियारी, रायपुर
17.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
18.	एन.एच.पी.सी., एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
19.	एनटीपीसी लि., एनटीपीसी, आर एंड डी बिल्डिंग, ए-8ए, सेक्टर-24, नोएडा-201301
गुजरात	
20.	दक्षिण गुजरात विज. कंपनी लि., नाना वर्चा रोड, कपोदारा, गज्जर पेट्रोल पम्प के निकट, सूरत गुजरात
21.	मध्य गुजरात विज. कंपनी लि., सरदार पटेल विद्युत भवन, रेस कोर्स, वड़ोदरा-390007

22.	पश्चिम गुजरात विज. कंपनी लि., ऑफ नाना मावा मेन रोड, लक्ष्मी नगर, राजकोट-360004, गुजरात
23.	उत्तर गुजरात विज. कंपनी लि., विशनगर रोड, मेहसाना-384001, गुजरात
24.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
हरियाणा	
25.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकुला
26.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत नगर, हिसार
हिमाचल प्रदेश	
27.	एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, शिमला
जम्मू व कश्मीर	
28.	पावर डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट, जानीपुर, जम्मू
29.	एन.एच.पी.सी., एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
झारखण्ड	
30.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि., इंजीनियरिंग भवन, एच.ई.सी., धुवा, रांची-834004
31.	दामोदर वैली कारपोरेशन डीवीसी टावर, वीआईपी रोड, कोलकाता-700054
32.	एनटीपीसी लि., एनटीपीसी, आर एंड डी बिल्डिंग, ए-8ए, सेक्टर-24, नोएडा-201301
कर्नाटक	
33.	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि., के.आर. सर्किल, बैंगलोर-560001
34.	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि., स्टेशन रोड, गुलबर्गा-585102
35.	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि., नवा नगर पोस्ट, पीबी रोड, हुबली-580025
36.	मंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि., पाराडिजिन प्लाजा, एबी शेडू सर्किल, मंगलौर-575001
37.	चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि., 927, एलजे एवेन्यू, न्यू कंधारजोर्स रोड, मैसूर-570009
38.	दि हुकेरी आरई को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, हुकेरी-591309, जिला-बेलगांव
केरल	
39.	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युथी भवनम, पट्टम, तिरुवनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	
40.	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., एमपीएसईबी कॉम्प्लेक्स, गोविंदपुरा, भोपाल
41.	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., पोलोग्राउंड, इंदौर
42.	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., विद्युत भवन, जबलपुर
43.	एनटीपीसी लि., एनटीपीसी, आर एंड डी बिल्डिंग, ए-8ए, सेक्टर-24, नोएडा-201301
महाराष्ट्र	
44.	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि., प्रकाशगढ़, प्लॉट नं. जी-9, बांद्रा, मुम्बई-400051
मणिपुर	
45.	एमएसपीडीसीएल, सैक्योर्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तृतीय मंजिल, इम्फाल होटल के निकट, नॉर्थ एओसी, इम्फाल-795001
मेघालय	
46.	एमईपीडीसीएल, मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लि., एमईसीएल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, लुमजिंगसाई, शॉर्ट राउंड रोड, शिलांग-793001
मिजोरम	
47.	विद्युत विभाग, मिजोरम सरकार, खटिया, आइजोल-796001, मिजोरम
नागालैंड	
48.	विद्युत विभाग, नागालैंड सरकार, कोहिमा, नागालैंड
ओडिशा	
49.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव

	(हरियाणा)-122001
50.	सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी, जनपथ, भुवनेश्वर, ओडिशा-751022
51.	सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, कोरपेटा, बेहरामपुर-760004
52.	नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं., जानुगंज, बालासोर-756019
53.	वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं, बुर्ला, संबलपुर-768017
54.	ग्रिडको, जनपथ, भुवनेश्वर, ओडिशा-751022
55.	एन.एच.पी.सी., एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
56.	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं.लि., एनटीपीसी, आर एंड डी बिल्डिंग, ए-8ए, सेक्टर-24, नोएडा-201301
पंजाब	
57.	पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पीएसईबी ऑफिस बिल्डिंग, द मॉल, पटियाला, पंजाब
राजस्थान	
58.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर, राजस्थान
59.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस, जोधपुर, राजस्थान
60.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान
61.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
सिक्किम	
62.	विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार, काजी रोड, गंगटोक, सिक्किम
तमिलनाडु	
63.	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, 44, अन्ना, सलाय, चेन्नई-600002
त्रिपुरा	
64.	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिपुरा
65.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
उत्तर प्रदेश	
66.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 220 केवी जीएसएस, आगरा मथुरा बाईपास, सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश
67.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
68.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत नगर, पीओ डीएलडब्ल्यू, भिखारीपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
69.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ, उत्तर प्रदेश
70.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
उत्तराखण्ड	
71.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
पश्चिम बंगाल	
72.	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, बिद्युत भवन, बिधान नगर, कोलकाता-700091
73.	दामोदर वैली कारपोरेशन, डीवीसी टावर, वीआईपी रोड, कोलकाता-700054
74.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुडगांव (हरियाणा)-122001
75.	एनटीपीसी लि., एनटीपीसी, आर एंड डी बिल्डिंग, ए-8ए, सेक्टर-24, नोएडा-201301
76.	एन.एच.पी.सी., एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4776

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उपभोग

4776. श्री आनंदराव अडसुल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एक अध्ययन के अनुसार नवीकृत मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) बाजार क्षमता से परिकल्पना की गई है कि इससे प्रति वर्ष विद्युत ऊर्जा बचतों की 178 बिलियन इकाइयां प्राप्त होंगी जो मोटे तौर पर अखिल भारतीय वार्षिक विद्युत खपत के वर्तमान स्तरों का 18-20 प्रतिशत बैठता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में वार्षिक रूप से 150 मिलियन टन की कटौती होने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
- (ख) क्या विश्व बैंक ने भारत के ऊर्जा दक्षता बाजार को 1.6 लाख करोड़ रुपये का आंका है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विश्व बैंक ने समग्र ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन तैयारी के मामले में पांच राज्यों को शीर्षस्थ स्थान पर रखा है, यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार ने पहचाने गए ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों की तुलना में ऊर्जा बचतों का कोई प्राप्य लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी हाँ। विश्व बैंक ने "भारत में यूटिलिटी स्केल डीएसएम अवसर एवं व्यवसाय मॉडल" नामक अध्ययन किया है जिसमें प्रतिवर्ष 178 बिलियन केडब्ल्यूएच ऊर्जा बचत की नवीकृत मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) बाजार संभाव्यता आंकी गई है जो कि मोटे तौर पर अखिल भारतीय वार्षिक विद्युत खपत के वर्तमान स्तर का 18-20 प्रतिशत है तथा इससे CO₂ उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 150 मिलियन टन की कमी होने की

संभावना है। इस अध्ययन में भारत का ऊर्जा दक्षता बाजार 1.6 लाख करोड़ आंका गया है। इसके अतिरिक्त, इस अध्ययन से, 5 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं केरल को उनकी समग्र ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन तैयारी के संदर्भ में शीर्षस्थ स्तर पर रखा गया है।

(घ) एवं (ङ) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों के माध्यम से, 12वीं योजना अवधि (2012-17) के लिए 60.5 बीयू (बिलियन यूनिट) के ऊर्जा बचत लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऊर्जा बचत लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में, निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यान्वित किए जा चुके हैं:

- (i) उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के बारे में चयन की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए उपस्करों का मानक एवं लेबलिंग (एसएण्डएल) कार्यक्रम तथा इससे, विपणन किए गए संबंधित उत्पाद की लागत बचत संभाव्यता।
- (ii) निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित और निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार करों (पीएटी) स्कीम के माध्यम से कार्यान्वित ऊर्जा सघन उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड का निर्धारण।
- (iii) वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) तैयार करना।
- (iv) बहु-मंजिला आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के डिजाइन दिशा-निर्देश।
- (v) नगरपालिका, घरेलू, कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।
- (vi) ऊर्जा दक्षता के लिए राज्य निर्दिष्ट एजेंसी का सुदृढीकरण।
- (vii) सबके लिए सस्ती एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) आधारित मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एलईडी लैम्पों को प्रोत्साहन।
- (viii) ऊर्जा दक्ष पंखों तथा कृषि पम्प सेट्स को प्रोत्साहन।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4789
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

आयातित कोयले पर निर्भरता

4789. श्री धर्मेन्द्र यादव:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल और अक्टूबर 2016 के बीच आयातित कोयले की कीमतों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विनियामक आयोग विद्युत खरीद और ईंधन लागत समायोजन के द्वारा ऐसी लागतों को अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि विद्युत खरीद लागत विद्युत कंपनियों के लिए एक अनियंत्रित व्यय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकांश राज्य विनियामक आयोग वास्तविक और समयबद्ध आधार पर ऐसे समायोजनों के लिए अनुमति न देने पर विचार कर रहे हैं और यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या देश में पर्याप्त घरेलू कोयला उपलब्धता के साथ विद्युत आधिक्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयले के आयात के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2016 की अवधि के दौरान आयातित कोयले से संबंधित सूचना सहित विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अनुसार, उपभोक्ता की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत की खुदरा बिक्री के प्रशुल्क का निर्धारण उपयुक्त राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 61 में यह अधिदेश है कि उपयुक्त आयोग, प्रशुल्क का निर्धारण करते समय, न केवल उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उचित तरीके से विद्युत की लागत की वसूली भी सुनिश्चित करेगा। इस अधिनियम की धारा 62 में आगे, ईंधन मूल्य, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो, के परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए वर्ष के दौरान आवधिक प्रशुल्क समायोजन किए जाने की व्यवस्था है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 (बोली प्रक्रिया के द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण) के अनुसार, उपयुक्त आयोग यदि ऐसा प्रशुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया हो तो उस प्रशुल्क को अपनाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क नीति, 2016 की धारा 8.2.1(7) में समाविष्ट प्रावधानों में, उपयुक्त आयोग के लिए यह व्यवस्था है कि उत्पादक कंपनी तथा लाइसेंसी की सभी विवेकपूर्ण लागतों की वसूली के लिए, मासिक/त्रैमासिक आधार पर ईंधन, विद्युत क्रय इत्यादि के मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न लागत की वसूली का उपयुक्त मूल्य समायोजन फार्मूला विनिर्दिष्ट करे।

सभी एसईआरसी से, विद्युत अधिनियम तथा प्रशुल्क नीति में उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की अपेक्षा है।

(ङ) : अप्रैल-नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान, देश में ऊर्जा तथा व्यस्ततम कमी मात्र क्रमशः 0.7% तथा 1.6% थी जबकि विगत वर्ष (2015-16) की इसी अवधि के दौरान यह कमी 2.3% तथा 3.2% थी। घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति के कारण, चालू वर्ष के दौरान, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी के कारण कोई उत्पादन हानि नहीं हुई।

तथापि, कुछ विद्युत संयंत्र आयातित कोयले पर आधारित हैं। ऐसे आयातित कोयला आधारित संयंत्रों के लिए कोयले का आयात किया जा रहा है। तथापि, आयातित कोयले के प्रयोग में और अधिक कमी करने के लिए, आयातित कोयले को घरेलू कोयले से, तकनीकी रूप से संभाव्य सीमा तक प्रतिस्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4789 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आयातित कोयले का एफओबी मूल्य (मासिक औसत मूल्य, यूएसडी/टन)				
माह	साउथ अफ्रीकन कोयला मूल्य (जीसीवी-6000)	ऑस्ट्रेलियन कोयला मूल्य (जीसीवी-6000)	इंडोनेशियन कोयला मूल्य (जीसीवी-4600)	आयातित कोयले की सभी तीन किस्मों के लिए औसत मूल्य
अप्रैल-16	52.78	50.68	38.07	47.18
मई-16	53.38	51.31	38.46	47.72
जून-16	57.86	52.85	39.25	49.99
जुलाई-16	61.88	61.24	41.34	54.82
अगस्त-16	65.89	67.41	45.41	59.57
सितंबर-16	67.31	72.70	50.84	63.62
अक्टूबर-16	83.04	94.19	59.41	78.88
अप्रैल और अक्टूबर, 2016 के बीच मूल्य वृद्धि	57.33%	85.84%	56.03%	67.19%
स्रोत: ग्लोबल कोयला/ऑर्गस मीडिया लि.				

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4798
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

राज्य विद्युत बोर्डों को हानियां

4798. श्री गोपाल शेटी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तिथि अनुसार वार्षिक आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों द्वारा वहन की जा रही हानि कितनी है; और
- (ख) विभिन्न राज्यों में विद्युत की वर्तमान खपत कितनी है और राज्यों द्वारा अपने स्रोतों से उत्पादित की जा रही विद्युत की प्रमात्रा कितनी है और इसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों का योगदान कितना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के कार्य निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर यूटिलिटीयों की सकल हानियां 58,275 करोड़ रुपए थी।

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : चालू वर्ष (अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2016 तक) के दौरान केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों सहित विभिन्न स्रोतों से राज्यों के लिए विद्युत की उपलब्धता और केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4798 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 के दौरान राज्य-वार और यूटिलिटी-वार हानियों का ब्यौरा (रुपए करोड़ में)			
क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2014-15 प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	
		एनबीपीडीसीएल	-491
		एसबीपीडीसीएल	-748
	बिहार कुल		-1,239
	झारखण्ड	जेएसईबी	0
		जेबीवीएनएल	-37
	झारखण्ड कुल		-37
	ओडिशा	सीईएसयू	-202
		एनईएससीओ	-123
		एसईएससीओ	-379
		डब्ल्यूईएससीओ	-224
	ओडिशा कुल		-929
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	-126
	सिक्किम कुल		-126
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	20
	पश्चिम बंगाल कुल		20
पूर्वी कुल			-2,310
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	-257
	अरुणाचल प्रदेश कुल		-257
	असम	एपीडीसीएल	-578
	असम कुल		-578
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	0
		एमएसपीडीसीएल	0
	मणिपुर कुल		0
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	-202
	मेघालय कुल		-202
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-192
	मिजोरम कुल		-192
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-315
	नागालैंड कुल		-315
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	-82
	त्रिपुरा कुल		-82
पूर्वोत्तर कुल			-1,625
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	63
		बीएसईएस यमुना	19
		टीपीडीडीएल	336
	दिल्ली कुल		418
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-636
		यूएचबीवीएनएल	-1,481
	हरियाणा कुल		-2,117
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	-125
	हिमाचल प्रदेश कुल		-125
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	-3,913
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		-3,913
	पंजाब	पीएसपीसीएल	-1,100

	पंजाब कुल		-1,100
	राजस्थान	एवीवीएनएल	-3,593
		जेडीवीवीएनएल	-4,146
		जेवीवीएनएल	-4,735
	राजस्थान कुल		-12,474
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-2,936
		केईएससीओ	-168
		एमवीवीएन	-1,994
		पश्च वीवीएन	-1,577
		पूर्व वीवीएन	-2,000
	उत्तर प्रदेश कुल		-8,675
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	-260
	उत्तराखण्ड कुल		-260
उत्तरी कुल			-28,245
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	0
		एपीईपीडीसीएल	-722
		एपीएनपीडीसीएल	0
		एपीएसपीडीसीएल	-1,827
	आंध्र प्रदेश कुल		-2,549
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	113
		सीएचईएससीओएम	37
		जीईएससीओएम	-110
		एचईएससीओएम	30
		एमईएससीओएम	14
	कर्नाटक कुल		85
	केरल	केएसईबी	0
		केएसईबीएल	-1,273
	केरल कुल		-1,273
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	157
	पुडुचेरी कुल		157
	तमिलनाडु	टीएनजीईडीसीओ	-12,757
	तमिलनाडु कुल		-12,757
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	-1,741
		टीएसएसपीडीसीएल	-1,171
	तेलंगाना कुल		-2,912
दक्षिणी कुल			-19,249
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	-1,569
	छत्तीसगढ़ कुल		-1,569
	गोवा	गोवा पीडी	-17
	गोवा कुल		-17
	गुजरात	डीजीवीसीएल	51
		एमजीवीसीएल	29
		पीजीवीसीएल	11
		यूजीवीसीएल	17
	गुजरात कुल		108
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-2,765
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1,061
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,175
	मध्य प्रदेश कुल		-5,001
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-366
	महाराष्ट्र कुल		-366
पश्चिमी कुल			-6,845
सकल योग			-58,275

स्रोत: पीएफसी

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4798 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू वर्ष (अप्रैल, 2016-अक्टूबर, 2016) के दौरान सीजीएस की कुल विद्युत उपलब्धता और योगदान		
राज्य/सिस्टम	उलब्धता (एमयू)	केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से अनुसूचित ऊर्जा (एमयू)
उत्तरी क्षेत्र		
चंडीगढ़	1135	702
दिल्ली	21639	12947
हरियाणा	32179	8320
हिमाचल प्रदेश	5113	5474
जम्मू व कश्मीर	7929	7016
पंजाब	37666	11781
राजस्थान	38362	10509
उत्तर प्रदेश	64197	23123
उत्तराखंड	7899	3463
पश्चिमी क्षेत्र		
छत्तीसगढ़	14091	4674
गुजरात	61687	16425
मध्य प्रदेश	35815	17086
महाराष्ट्र	80627	19130
दमन व दीव	1424	1001
दादर व नागर हवेली	3588	2153
गोवा	2722	2019
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	31435	6968
तेलंगाना	29456	7798
कर्नाटक	36789	10989
केरल	14119	6089
तमिलनाडु	63530	18904
पुडुचेरी	1554	1573
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	15541	10857
डीवीसी	10808	862
झारखंड	4615	2178
ओडिशा	16154	5425
पश्चिम बंगाल	30849	4741
सिक्किम	262	551
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
अरुणाचल प्रदेश	397	493
असम	5481	3684
मणिपुर	399	645
मेघालय	970	430
मिजोरम	270	346
नागालैंड	429	423
त्रिपुरा	845	1010

स्रोत: सीईए

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4800
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

एनटीपीसी इकाइयों में खराबी

4800. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पिछड़े जिलों में स्थापित एनटीपीसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि अनुसार इकाई-वार उक्त इकाइयों में हुई खराबियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी त्रुटियों/खराबियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित एनटीपीसी की इकाइयों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : उपरोक्त इकाइयों में खराबियों (जबरन बंदी प्रतिशत) से संबंधित ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : एनटीपीसी के संयंत्रों में खराबियों (जबरन बंदी) को रोकने के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:

- प्रत्येक खराबी के संबंध में कंपनी के भीतर विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्लेषण किया जाता है और उनकी सिफारिशों के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक होता है, मूल उपस्कर विनिर्माता की सहायता भी ली जाती है।
- प्रत्येक उपस्कर की विस्तृत स्थिति निगरानी एक निर्धारित ढंग से की जाती है। परिणामों के आधार पर विफलताओं को रोकने के लिए निवारक तथा भविष्यसूचक अनुरक्षण किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4800 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछड़े क्षेत्रों (जिलों) में स्थापित एनटीपीसी इकाईयों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्टेशन	जिला	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1.	रामागुंडम	करीमनगर	आंध्र प्रदेश	2610*
2.	बोंगाईगांव	कोकराझार	असम	250
3.	सीपत	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	2980
4.	रिहंद	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	3000
5.	सिंगरौली	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2015*
6.	ऊंचाहार	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	1060*

* सौर क्षमता सहित

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4800 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछड़े क्षेत्रों (जिलों) में स्थापित एनटीपीसी यूनिटों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खराबियों (जबरन बंदी प्रतिशत) का ब्यौरा

क्रम सं.	स्टेशन	खराबी (जबरन बंदी प्रतिशत)			
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अप्रैल-नवंबर, 2016)
1.	रामागुंडम	1.23	1.29	2.32	1.56
2.	बोंगाईगांव**	-	-	-	2.75
3.	सीपत	1.91	1.22	3.97	3.54
4.	सिंगरौली	4.61	5.92	3.17	1.93
5.	रिहंद	2.76	3.70	5.44	2.62
6.	ऊंचाहार	0.96	0.91	0.61	0.79

** अप्रैल, 2016 में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4802

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

ट्रांसमिशन लाइनें

4802. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की वर्तमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या ट्रांसमिशन लाइनें अपनी पूर्ण क्षमता पर चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिक विद्युत वाले राज्य अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन में अवरोधों के कारण कम बिजली वाले राज्यों को अपनी अधिक विद्युत की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में, देश में लगभग 3,59,000 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें तथा सब-स्टेशनों की 701 जीवीए रूपांतरण क्षमता (220 केवी और इससे अधिक के वोल्टेज स्तरों के लिए) विद्यमान है।

(ख) और (ग) : देश में पारेषण लाइनों का प्रचालन अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के संबंधित ग्रिड कोडों अर्थात् भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुसार विद्युत अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के राज्य ग्रिड कोडों के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) : अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों की आयोजना एवं कार्यान्वयन अंतर्राज्यीय उत्पादन स्टेशनों (आईएसजीएस) से निकासी प्रणाली के भाग के रूप में और प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाओं के रूप में भी किया जाता है। इन लाइनों का उपयोग प्रमुख रूप से विभिन्न राज्यों में उनके लाभग्राहियों को इन उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की सुपुर्दगी के लिए किया जाता है। इन लाइनों का उपयोग अधिशेष राज्यों/क्षेत्रों से कमी वाले राज्यों/क्षेत्रों को विद्युत का हस्तांतरण करने के लिए भी किया जाता है। विगत दो वर्षों के दौरान पारेषण में क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण, वर्तमान वर्ष 2016-17 (अगस्त तक) के दौरान बाजार में संकलन के कारण विद्युत के केवल 0.1% मात्रा स्वीकृत नहीं की जा सकी। इस प्रकार विद्युत की अधिकता वाले राज्य विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत आपूर्ति करने में समर्थ हैं।

सरकार ने 12वीं योजना अवधि के दौरान 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें चालू करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से, 1,01,852 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें नवंबर, 2016 तक पहले ही चालू की जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4818

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को उबारना

4818. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लगभग 21,400 मेगा वॉट क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों को नवीन ईंधन आपूर्ति समझौतों के माध्यम से कोयला लिंकेज सुनिश्चित कर घाटे से उबारने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह निर्णय मंत्रालय द्वारा मूलतः मार्च, 2016 में शुरू किए जाने हेतु नियत इन संयंत्रों की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि में संशोधन के पश्चात् लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित ईंधन आपूर्ति विद्युत संयंत्रों को लाभ देगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : 1,08,000 मेगावाट क्षमता को शामिल करते हुए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के साथ-साथ केन्द्रीय/राज्य सरकार क्षेत्र सहित विभिन्न विद्युत संयंत्रों को अब तक 177 आश्वासन पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं । इस 1,08,000 मेगावाट क्षमता में से वर्ष 2013 में सक्षम प्राधिकारी ने 78,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों जो दिनांक 31.03.2015 तक शुरू किए गए थे अथवा शुरू किए जाने की संभावना थी, के संबंध में ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) अनुमोदित किए थे।

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 15.10.2015 को कोल इण्डिया लिमिटेड को विद्युत संयंत्रों जो वर्ष 2015-16 में (78000 मेगावाट भाग के रूप में) शुरू किए गए हैं/शुरू किए जाने हैं, के लिए एफएसए हस्ताक्षर करने और कोयले की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आगे दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

एफएसए हस्ताक्षर होने से विद्युत के उत्पादन के लिए ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4830

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

आगामी 5 से 10 वर्षों हेतु विद्युत आवश्यकताएं

4830. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में आगामी 5 से 10 वर्षों में विद्युत की मांग का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है;
- (ग) क्या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के साथ विद्युत करारों के संबंध में राज्यों को अधिसूचित कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने राज्यों ने रुचि दिखाई है;
- (घ) क्या कुछ राज्य थर्मल विद्युत संयंत्रों से विद्युत खरीदने के लिए वित्तीय कमी का सामना कर रहे हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 18वीं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 तथा 2026-27 के लिए विद्युत केंद्र बस-बार में देश (यूटिलिटी) की विद्युत आवश्यकता अनुबंध में दी गई है। विद्युत मांग का पुनःनिर्धारण करने के लिए 19वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) : आगामी वर्षों में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

- (i) देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2012 में वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत की प्रस्तावित मांग को पूरा करने के

लिए वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 86,400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकता प्रक्षेपित की गई है।

- (ii) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- (iii) उत्पादन यूनिटों की दक्षता में सुधार करने तथा बेहतर उपलब्धता के लिए पुरानी, अदक्ष उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार किया जा रहा है।

(ग) : दिनांक 28.01.2016 को अधिसूचित संशोधित प्रशुल्क नीति के प्रावधान के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 तक दीर्घकालिक नवीकरणीय क्रय करार (आरपीओ) ट्रेजेक्टरी के संबंध में दिनांक 22.07.2016 के आदेश सं. 23/03/2016-आरण्डआर के तहत आदेश जारी किए हैं। ब्यौरा इस प्रकार है:

दीर्घकालिक ट्रेजेक्टरी	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-सौर	8.75%	9.50%	10.25%
सौर	2.75%	4.75%	6.75%
कुल	11.50%	14.25%	17.00%

विद्युत के जल विद्युत स्रोतों से पूरी की गई खपत को छोड़कर दायित्व प्राप्त निकाय द्वारा विद्युत की कुल खपत पर यह दायित्व होगा।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसईआरसी अपने संबंधित राज्यों को उपर्युक्त में एक समान आरपीओ ट्रेजेक्टरी के अनुरूप आरपीओ अधिसूचित कर सकता है।

(घ) और (ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की पर्याप्त विद्युत की खरीद का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, राज्यों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय आमूलचूल परिवर्तन के लिए उज्ज्वल एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है। सहभागी राज्य योजना में रेखांकित मापदंडों डिस्कॉमों का प्रचालनात्मक एवं वित्तीय आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए इस योजना की शुरुआत करेंगे। इससे डिस्कॉम ताप विद्युत संयंत्रों से और अधिक विद्युत खरीदने के लिए सक्षम होंगे।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4830 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2021-22 और 2026-27 के लिए विद्युत स्टेशन बस-बार में, देश (यूटिलिटी) की ऊर्जा आवश्यकता

वर्ष	इलेक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)
2021-22	1904861	283470
2026-27	2710058	400705
